आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

सहयोग राशि
30/-₹

मई 2021

क्रान्ति

मासिक

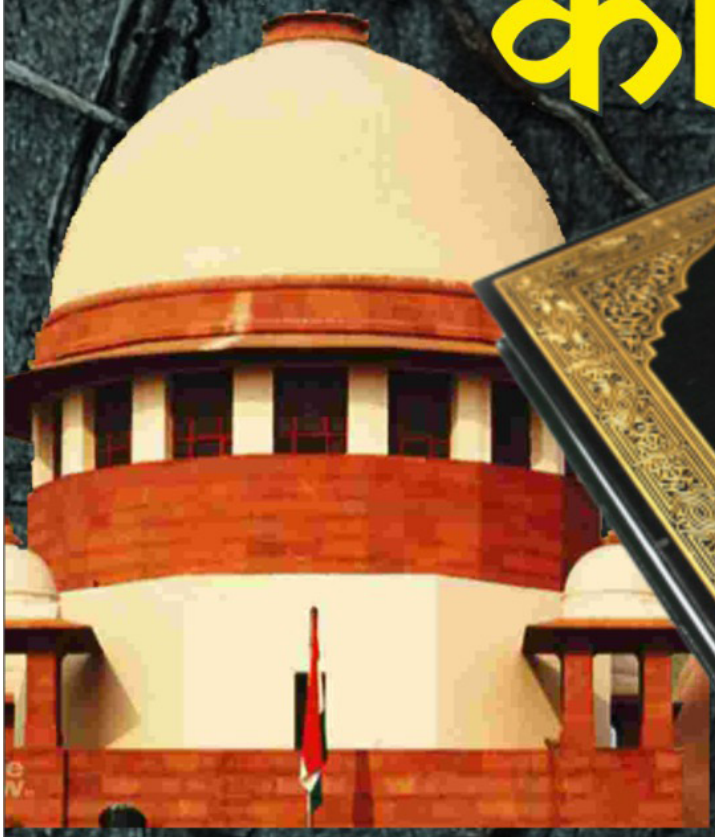

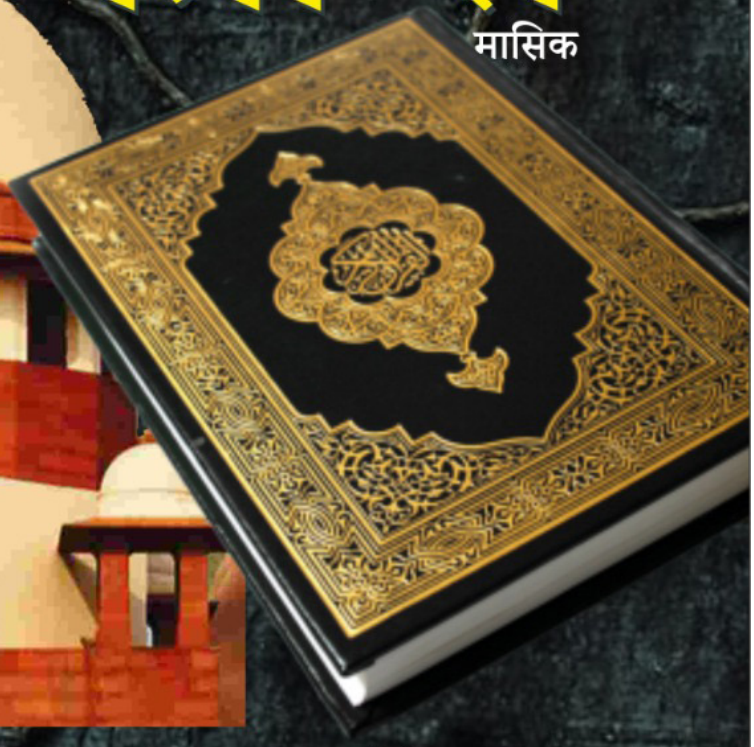

कुरआन पर जनहित याचिका और हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का अपमान

क्रिया और प्रतिक्रिया

www.kanti.in

संपादक
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
रेहान मुबारक शैख़
+91 96993 52114

सहयोग राशि
एक प्रति 25/- रु॰ वार्षिक 270/- रु॰
दो वर्ष 500/- रु॰ पांच वर्ष 1100/- रु॰
आजीवन रु॰ 6000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
+91 8920589292

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस,
2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान,
दिल्ली - 110006 से मुद्रित।
फ़ोन: 9818799223
संपादक: शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 30 अंक 11 मई 2021

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

कान्ति
मासिक

इस अंक में

मूल 03
कोविड की ताज़ा लहर सबक़ क्या है?
शिब्ली अरसलान

सौंदर्यबोध 05
'कहीं एक घाव बाक़ी रह गया है...'
शीरीन मारिया

चिंतन 06
विचारों की आज़ादी
सादी सैयद

दर्शन 08
सच्ची आध्यात्मिकता और रोज़े का...
मुत्तलिब मिर्ज़ा

मुख्य स्तंभ 10
क़ुरआन पर जनहित याचिका और हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) का अपमान
डॉक्टर नफ़ीस अख़्तर

अंतर्मन 14
मेरा पहला रोज़ा...
शायमा

अभिव्यक्ति के ख़तरे 16
एतिराज़ का यह कैसा अंदाज़?
वारिस हुसैन

सौहार्द 18
औरों को प्रोत्साहन देने से बढ़ेगा सामाजिक सौहार्द
तारिक़ अल-सवीदान

कंपैरेटिव रिलिजन 21
अंतिम संदेशवाहक और सनातन धर्म
भीष्म प्रसाद गुप्त

सोशल अड्डा 23
सोशल मीडिया : जर्जर स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल
संपादन प्रभाग

युवा तेवर 25
छात्र राजनीति के सात दौर, भविष्या की...
सआदत ख़लीफ़ा

दुनिया मेरे आगे 30
क्वाड : एशियाई राजनीति में अमेरिका...
जुनैद अली

अध्ययन चर्चा 33
धारणाओं की जंग
संपादन प्रभाग

मुद्दा 35
लॉकडाउन: एक साल बाद फिर उसी दोराहे पर
मुहम्मद यूसुफ़ 'मुन्ना'

लघुकथा 37
एकाकीपन
आरके रस्तोगी

आख़िरी पन्ना 39
माहौल अब भी बदल सकता है
तूबा हयात ख़ान

मूल प्रश्न



कोविड की ताज़ा लहर: सबक़ क्या है ?



शिब्ली अरसलान

हमारा देश कोविड-19 की दूसरी लहर से गुज़र रहा है। यह लहर पहली लहर की तुलना में अत्यंत ख़तरनाक और ख़ौफ़नाक है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, व्यापारिक राजधानी मुंबई, मध्य प्रदेश के कई शहर, लखनऊ, बनारस, पटना आदि कई जगहों पर कोरोना वायरस तूफ़ान मचा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सही कहा है कि ये लहर नहीं, सुनामी है। रोज़ाना लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और हज़ारों की संख्या में मौतें हो रही हैं। केवल राजधानी दिल्ली में रोज़ाना सैकड़ों मौतें हो रही हैं। पहले से जर्जर हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, संकट प्रारंभ होते ही चारों खाने चित है। जानकारों का मानना है कि अभी संक्रमण और बढ़ेगा। तब क्या स्थिति होगी, सोचकर ही बदन कांप उठता है। देश अभी ही पूरी तरह पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की गिरफ़्त में हैं। सोशल मीडिया कोविड की वजह से मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार के फ़ोटो और वीडियो से भरा पड़ा है। इन तस्वीरों में भीड़ भरे शमशान और क़ब्रगाह दिख रहे हैं।

अस्पतालों के बाहर मृतकों के रोते-बिलखते परिवार दिखाई पड़ रहे हैं। बेहाल मरीज़ों से लदे एंबुलेंसों की क़तारें हैं। मुर्दाघरों में लाशों के लिए जगह नहीं है। कई बार एक बेड पर दो मरीज़ों को लिटाने की ज़रूरत पड़ रही है।

अस्पतालों के कॉरिडोर और लॉबी में भी मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल के बेड, ऑक्सीजन, जीवनरक्षक दवाओं और टेस्ट के लिए हाहाकार मचा हुआ है। दवाएं ब्लैक मार्केट में बेची जा रही हैं और टेस्ट रिजल्ट में आने में कई दिन लग रहे हैं। हॉस्पिटल के बाहर सड़कों और गलियों में मौत की चीत्कार और मृतक के परिजनों का करुण-क्रंदन सुनकर बरबस दिल से आवाज़ आती है–रहम मौला! केंद्र और राज्य सरकारें बेबस होती जा रही हैं। प्रतिदिन सरकारों के दावों की पोल खुल रही है। डींगें हांकने वाला हमारा शिखर नेतृत्व अब लाचार नज़र आने लगा है।

मौजूदा भयावह स्थिति और आने वाला इससे भी अधिक विकराल भविष्य देखकर कई सवाल पैदा होते हैं। पहला सहज सवाल तो यही है कि ऐसे समय में जबकि सारी दुनिया में कोविड संक्रमण का ग्राफ़ गिरा है, भारत में ऐसी तबाही क्यों मच रही है? इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में हमने एक देश के रूप में, उन मुल्कों से क्या सीखा, जो कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए?

कोरोना की दूसरी लहर को तो आना ही था, लेकिन भारत इसके असर को काफ़ी हद तक कम कर सकता था। विशेषज्ञों का मानना है कि दूसरे देशों की तरह ही भारत को भी जनवरी में इस वायरस के वैरिएंट्स की तलाश के लिए सतर्क होकर जीनोमिक सर्विलांस शुरू कर देना चाहिए था। फ़रवरी के आख़िर में बीबीसी ने भारत में कोरोना संक्रमण की बड़ी तेज़ी से बढ़ने की ख़बर दी थी। इस रिपोर्ट में यह सवाल उठाया गया था कि क्या भारत कोविड की नई लहर का सामना करने जा रहा है। फ़रवरी के मध्य में अंग्रेज़ी अख़बार 'इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में कोरोना केस के बढ़ने की रफ़्तार सात गुना तक पहुंच चुकी है।

फ़रवरी ही में महाराष्ट्र के कुछ इलाक़ों में कोरोना के नए वैरिएंट्स के बारे में पता चल गया था। लेकिन शुरुआत में अधिकारियों ने इससे इन्कार कर दिया था। यही वह वक़्त था, जब चीज़ें दूसरी ओर मुड़ गईं। अब विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोविड को 'हराने' की भारत की 'अनोखी क्षमताओं' को लेकर बड़ा शोर हुआ। कहा गया कि यहां युवा आबादी है। ज़्यादातर लोग गांवों में रहते हैं। देशवासियों के भीतर एक स्वाभाविक प्रतिरोधी क्षमता है। इसलिए कोरोना हार गया, लेकिन इतनी जल्दी कोरोना से जीत का एलान काफ़ी भारी पड़ा है। सरकार के अहंकार और लोकप्रियता पाने की होड़ और बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी की नाकामी ने मिलकर संकट को विकराल बना दिया है। सरकार ने रैलियों और धार्मिक समारोहों तक को मंज़ूरी दे दी और इसमें बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे। पहली लहर के बाद जब संक्रमितों की संख्या घटने लगी, तो लोगों ने टीका लगवाना भी कम कर दिया।

देश में लोगों के अंदर जीत की एक भावना दिख रही थी। कुछ लोगों को लग रहा था कि हमने हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर ली है। हर किसी को दफ़्तर लौटने की जल्दी थी। बसों, ट्रेनों, सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब और स्विमिंग पूल हर जगह भीड़ लगनी शुरू हो गई। मास्किंग तक का ख़याल नहीं। ये लोग शादियों, पारिवारिक और सामाजिक समारोहों में खुलकर जाने लगे।

बड़ा सवाल ये है कि जन-स्वास्थ्य के इतने बड़े संकट के सबक़ क्या हैं? पहली बात तो यह है कि भारत को इस वायरस पर समय से पहले जीत के एलान से परहेज़ करना सीखना होगा।

यह जो जीत की भावना है, इस पर रोक लगानी होगी। आगे अगर संक्रमण में तेज़ी आती है, तो लोगों को छोटे और स्थानीय लॉकडाउन के साथ जीना सीखना होगा।

ज़्यादातर महामारी विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना संक्रमण की अभी और लहरें आ सकती हैं, क्योंकि भारत अभी हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने से काफ़ी दूर है। और यहां टीकाकरण की दर भी कम है।

हम ज़िंदगी को यूं एकदम रोक तो नहीं सकते, लेकिन अगर हम भीड़ भरे शहरों में एक-दूसरे से पर्याप्त शारीरिक दूरी न रख पाएं, तो कम से कम यह तो पक्का कर लें कि हर कोई सही मास्क पहने। अजीब विडंबना है कि अब तक मास्क को लेकर हमारे यहां बेदारी नहीं है, जबकि जापान, इस्राईल समेत कई यूरोपियन देशों ने मास्किंग के बल पर कोविड को बड़ी ख़ूबसूरती से हैंडल कर लिया है। हमारे यहां अब तक ये बताने की ज़रूरत है कि मास्क को सही ढंग से पहनना भी ज़रूरी है। लोगों से की जाने वाली यह कोई बड़ी अपेक्षा तो नहीं ही है? ■■



सौंदर्यबोध



शीरीन मारिया

'कहीं एक घाव बाक़ी रह गया है...'

कितने ही एहसास हैं जिन्हें शब्दों की असमर्थता खा गई। कितनी ही बातें हैं जो ज़बान तक आने से पहले ही लौट गईं। अंदर की कितनी ही टूट-फूट, डर व ख़ौफ़ की भेंट चढ़ गईं। निस्संदेह चेहरा दिल का आईना होता है और आंखें लफ्ज़ों की तर्जुमान। आंखें जब आंखों को न पहचानें, दिल जब चेहरे की पहचान और दर्द से अनभिज्ञ हो जाए तब इंसानी वजूद से ख़ामोशी का शिकवा बेकार है और ताल्लुक़ का दावा ढोंग।

इस मशीनी दौर में इंसान का अस्ल मालिक से संबंध तो कमज़ोर हुआ ही है, इंसान से इंसान का संबंध भी केवल लाभ-हानि तक सीमित दिखाई देता है। यही वजह है कि टेंशन, एंग्ज़ाइटी, डिप्रेशन जैसे शब्द आज सबकी ज़बान पर हैं। इन बीमारियों का शिकार हर दूसरा आदमी है। बाहर से हंसता-खिलखिलाता, मस्त-मौला नज़र आने वाला आदमी अंदर से कितना टूटा हुआ है, बुलंद हो रहे गगन भेदी अट्टाहास के बीच कैसे दुख छुपे हुए हैं और ज़ाहिर में पुरसुकून दिखने वाला इंसान अंदर कैसी जंग लड़ रहा है इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। इन दुखों और पीड़ा को देख लेना हर एक के बस की बात नहीं। उर्दू के कवि अख़्तरुल इमान ने कहा था-

कहीं एक घाव बाक़ी रह गया है
जिसे मैं देख सकता हूं, फ़क़त मैं

इंसानी हुजूम में बेशक बेशुमार ऐसे दिल हैं जो समुद्र की तरह गहरे और चट्टानों की तरह मज़बूत हैं जो ज़माने के थपेड़े, रात-दिन की उलझनें, जीवन की पीड़ा सब सह जाने के बाद भी शिकस्त नहीं खाते।

अपना दुख साझा न भी करें तो भी निढाल नहीं होते। दूसरी ओर वे दिल भी हैं जो कि अपना दुख साझा करने के लिए किसी कांधे की तलाश में होते हैं, जिन्हें तसल्ली और दिलासे की चाह है, जो किसी हौसले के आरज़ूमंद हैं कि कई बार जीवन के कठिन समय में अपनों की दी हुई तसल्ली, जीने का शौक़ और हौसला दे जाती है। प्रसिद्ध लेखक ख़लील जिब्रान अपने एक फिक्शन 'दिलों के भेद' में लिखते हैं–

"दिल जब रहस्यों से तंग आ जाता है, पलकें जब आंसुओं की हरारत से ज़ख़्मी हो जाती हैं और पसलियां जब सीने के भेदों की अधिकता से फटने लगती हैं तो बोलने और शिक्वा-शिकायत के सिवा आदमी के लिए कोई रास्ता नहीं होता। यही वजह है कि दुःख के मारे को शिकायत में राहत मिलती है, मज़लूम रहम की गुहार में लज़्ज़त महसूस करता है।"

यह मानव मनोविज्ञान का बहुत अहम पहलू है कि दुख साझा करके उसे सुकून मिलता है। ग़म को बांट लेने में इंसान राहत पाता है और अगर कहने सुनने की गुंजाइश बाक़ी न रहे तो घुटन इतनी बढ़ जाती है कि कई बार ज़िंदगी हार जाती है और इसके नतीजे में हम आयशा और सुशांत सिंह जैसी घटनाएं देखते हैं, समाज में आत्महत्या की दर बढ़ने लगती है।

हालांकि इस प्रकार की घटनाओं को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है लेकिन उन पहलुओं पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसके नतीजे में यह घटनाएं आज पेश आती हैं। इंसान से इंसान के संबंध में जो दूरी आ गई है, इस शून्य को पुर करने की ज़रूरत है। उन एहसास को पढ़ लेने की और उन पीड़ाओं को समझ लेने की ज़रूरत है जिनके बोझ तले आदमी ज़िंदगी की जंग हार जा रहा। एहसास की शमा रोशन करने की ज़रूरत है ताकि ज़िंदगी की शमा मंद न पड़ जाए।

■■



विचारों की आज़ादी

चिंतन



सादी सैयद
इलाहाबाद, यूपी

ख़ुदा ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है। इंसान की सारी गतिविधियों के पीछे उसकी सोच और उसके विचार होते हैं, यहीं से वह कंट्रोल्ड होता है। इसलिए उसे सबसे पहले विचारों के मामले में ही आज़ाद होना चाहिए। सच्ची बात तो ये है कि विचारों पर रोक-टोक तो किसी के बस में ही नहीं। किसी को सोचने से दूर तो सिर्फ़ मौत ही रख सकती है वरना इंसान जब तक ज़िंदा रहता है सोच-विचार के लिए आज़ाद होता है। इंसान के जिस्म को पाबंद किया जा सकता है, उसे जकड़ा जा सकता है, उसकी गतिविधियों पर पाबंदी लगाई जा सकती है, मगर विचारों पर नहीं। क़ुरआन के अनुसार जिन्न और इंसानों को ख़ुदा की बंदगी के लिए पैदा किया गया है और सृष्टि को इंसानों की सेवा के लिए ख़ासकर दिया गया है।

फिर भी क़ुरआन के अनुसार किसी पर कोई जब्र नहीं। इब्लीस से कहा गया कि आदम को सजदा करो मगर उसे आज़ादी दी गई। आदम को कहा गया फ़लां पेड़ के क़रीब मत जाना मगर आज़ाद रखा गया। अभिव्यक्ति की आज़ादी तो उस वक़्त से ख़ुदा की कायनात में चल रही है, जब आदम को पैदा भी नहीं किया गया था। अतः क़ुरआन से पता चलता है कि जब ख़ुदा

ने फ़रिश्तों से कहा कि हम ज़मीन में इंसान को पैदा करने वाले हैं तो फ़रिश्तों ने फ़ौरन अपने अंदेशों का इज़हार कर डाला और फिर ख़ुदा ने सिर्फ़ यही नहीं कि उनके विचारों को सुना बल्कि उसका इत्मीनानबख़्श जवाब भी दिया। क़ुरआन में ख़ुदा ने इस बात का ऐलान किया कि धर्म के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं। इसका मतलब यह है कि न तो ख़ुदा की तरफ़ से कोई जब्र होगा, न ख़ुदा के दीन को मान लेने वाले लोगों को यह हक़ हासिल होगा कि वह न मानने वालों पर ज़बरदस्ती करें।

बल्कि इस आयत से यह भी पता चलता है कि जिस तरह 'ला-इकराह' अर्थात् 'कोई ज़बरदस्ती नहीं' का माहौल इस पूरे ब्रह्मांड में ख़ुदा ने स्थापित कर रखा है, उसी तरह ख़ुदा के दीन को इस दुनिया में स्थापित करने वालों पर यह फ़र्ज़ है कि दुनिया में अपने इख़्तियार की हद तक, 'ला-इकराह' का माहौल बनाए रखें। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) के जीवन चरित्र के अध्ययन से साफ़ पता चलता है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और आपके साथियों ने इसी 'ला-इकराह' के क़ानून को समाज में

क़ुरआन कहता है कि इंसान की आंख, कान और बुद्धि ईश्वर की नेमत हैं, इनके संबंध में 'फ़ैसले के दिन' सवाल होगा। ज़ाहिर है इसके लिए इन सभी को आज़ाद होना चाहिए। क़ुरआन मजीद एक जगह कहता है कि अगर ख़ुदा चाहता तो समस्त इंसानों को एक ही समूह बना देता मगर ऐसा नहीं किया

जारी करने के लिए जंगें तक लड़ीं। ख़ुदा के दीन के सफ़र का आग़ाज़ विचारों से होता है, इसलिए किसी भी पाबंदी से बड़ी पाबंदी, किसी बड़े से बड़े जब्र से बड़ा जब्र विचारों पर प्रतिबंध लगाना है। किसी व्यक्ति या समाज की सेहत और तरक़्क़ी के लिए अत्यंत आवश्यक है कि उसके विचारों को न सिर्फ़ यह कि आज़ाद रखा जाए, बल्कि अभिव्यक्ति की भी आज़ादी दी जाए वरना व्यक्ति और समाज दोनों को नुक़सान पहुंचेगा।

क़ुरआन कहता है कि इंसान की आंख, कान और बुद्धि ईश्वर की नेमत हैं, इनके संबंध में 'फ़ैसले के दिन' सवाल होगा। ज़ाहिर है इसके लिए इन सभी को आज़ाद होना चाहिए। क़ुरआन मजीद एक जगह कहता है कि अगर ख़ुदा चाहता तो समस्त इंसानों को एक ही समूह बना देता मगर ऐसा नहीं किया इसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं कि इंसान व्यक्तिगत विचारों की हद तक स्वतंत्र रहे।

कहते हैं कि साइंस की ख़ुदा से नाराज़गी की वजह विचारों पर पाबंदी ही बनी, जब नवजागरण आया तो उस वक़्त धर्म के नाम पर नए विचारों को ज़हर के प्याले पेश किए गए। गैलेलियो को धार्मिक रहनुमाओं के सामने घुटने टेक कर अपने विचारों से पीछे हटना पड़ा, जिनकी बुनियाद ज्ञान, ऑब्ज़र्वेशन थी। उन मज़हबी मान्यताओं के आगे सर झुकाना पड़ा जिसके लिए कोई ज्ञान पर आधारित दलील नहीं थी। कॉपरनिकस की किताबें जला दी गईं। फिर साइंस ने ऐसा माहौल पेश किया कि डाल्टन के विचारों की भरपूर आलोचना होती लेकिन डाल्टन की प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचती। मेंडलीफ के विचारों को ज़्यादा दिन न हुए थे कि नए विचारों ने periodic table में अपनी जगह बना ली। परिणामस्वरूप समाज में 'साइंस' और 'मज़हब' दोनों का हाल सामने है। दोनों के हालात में बहुत फ़र्क़ है और यह फ़र्क़ वास्तव में विचारों के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक रवैये का अंतर है।

■■

दर्शन

मुत्तलिब मिर्ज़ा
कोटा, राजस्थान



सच्ची आध्यात्मिकता और रोज़े का दार्शनिक सौंदर्य

मनुष्य शारीरिक अस्तित्व के साथ-साथ आध्यात्मिक अस्तित्व भी रखता है। उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि वह अपनी शारीरिक ज़रूरतों के साथ ही अपने आध्यात्मिक ज़रूरतों पर भी ध्यान केंद्रित करे। सामान्यतः आध्यात्मिकता के सम्बंध में यह समझा जाता है कि इसके लिए समाज से अलग होना आवश्यक है। इंसान अपने घर, माता-पिता, बीवी-बच्चों सबको छोड़कर कहीं एकांत में जा बसे, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिकता समाज से जुड़ने का नाम है। ईश्वरीय मार्गदर्शन में मानव समाज के उत्थान के लिए संघर्षरत रहते हुए, आत्मा की पवित्रता, विचारों की शुद्धता और मन व मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना ही वास्तव में, आध्यात्मिकता है और "रोज़ा" आध्यात्मिकता की सतह पर पहुंचने में मनुष्य की सबसे ज़्यादा सहायता करता है।

रोज़े का संबंध आध्यात्मिकता के साथ कितना गहरा है इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के समस्त समुदायों में "रोज़े" की अवधारणा पाई जाती है। क़ुरआन में कहा गया है कि "रोज़ा तुमसे पहले के लोगों पर भी अनिवार्य किया गया था।" (क़ुरआन 2:183)

रोज़ों को अनिवार्य करने का उद्देश्य मनुष्य के अंदर "तक़वा" अर्थात् ईशपरायणता और परहेज़गारी पैदा करना है। (क़ुरआन 2:183)

सामान्यतः ये समझा जाता है कि सुबह से शाम तक भूखा और प्यासा रहने का नाम रोज़ा है, तो क्या भूखा-प्यासा रहने से मनुष्य में वो विशेषताएं पैदा हो जाती हैं जो मनुष्य के आध्यात्मिक अस्तित्व के लिए आवश्यक है...? गहनता से विचार करें तो मालूम होता है कि भूखा और प्यासा रखना रोज़े से चाहे गए उद्देश्य को पूरा करने का मात्र एक साधन है, रोज़ा तो वास्तव में कुछ चीज़ों से रुकने, कुछ चीज़ों पर नियंत्रण करने, कुछ चीज़ों का अनुभव करने और कुछ अनुभूतियों को अपने अंदर जगाने का नाम है। अगर ये सब न हो तो फिर भूखा व प्यासा रहना मनुष्य को कोई लाभ नहीं पहुंचाता है, इसीलिए पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) ने ये बात कही कि "कुछ लोगों को रोज़े से भूख और प्यास के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता"। पैग़म्बर (सल्ल०) की इस बात से पता चलता है कि रोज़ा भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने दिल व अपनी आत्मा की भूख व प्यास को मिटाने का नाम है। अपनी आत्मा को ताज़गी देना है। आत्म-नियंत्रण और इच्छाओं पर क़ाबू पाने का नाम है रोज़ा। रोज़ा "डाइटिंग" भी नहीं है, रोज़े के जब साइंटिफ़िक फ़ायदे, शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभ गिनाए जाने लगते हैं तो उसके नतीजे में भूखा रहने ही को रोज़ा समझा जाने लगता है, पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) की ये बात कितनी

विचारणीय है कि "सहरी खाकर रोज़ा रखा करो" अगर भूखा रखना उद्देश्य होता तो ये बात कहने की आवश्यकता नहीं थी।

रोज़े में भूखा और प्यासा रहना प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। भूख और प्यास में इस बात की संभावना ज़्यादा होती है कि मनुष्य अपना नियंत्रण खो बैठे, भूख की हालत में क्रोध, इर्रिटेशन इत्यादि की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, इसीलिए मनुष्य को भूखा और प्यासा रखकर ये चाहा गया है कि वो इन बातों पर नियंत्रण रखना सीखे। रोज़ा मनुष्य में संवेदनशील और सहनशील व्यक्तित्व की परवरिश करता है। रोज़ा ईश्वर की आज्ञाकारिता की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। ये मनुष्य में वफ़ादारी, मुहब्बत और बंदगी के जज़्बात पैदा करता है और यही वास्तव में आध्यात्मिकता है। भूख और प्यास में इश्क़ की ये अनुभूति कि उसने ईश्वर की ख़ातिर ख़ुद पर नियंत्रण किया, तन्हाई में वफ़ादारी और बंदगी का ये एहसास कि कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, लेकिन मुहब्बत में वफ़ादार रहना है, यही वास्तव में रोज़े का सौंदर्यशास्त्र है।

रोज़ा मनुष्य की सामाजिक जीवनशैली को भी प्रभावित करता है, भौतिकवाद और पूंजीवाद की ज़ंजीरों से जकड़े समाज में दीन-दुखी और भूख से लड़ रहे लोगों के प्रति संवेदना और उनकी सहायता के लिए प्रेरणा रोज़े से मिलती है, इसीलिए ईश्वर ने ये आदेश दिया कि "जो रोज़ा नहीं रखता वो एक रोज़े के बदले एक ग़रीब शख़्स को खाना खिलाए।" (क़ुरआन 2:184) ये रोज़े का फ़लसफ़ा है कि मनुष्य अपना पेट भरने के लिए ही न जिये बल्कि वो समाज के कमज़ोर, ग़रीब और परेशानहाल लोगों की सहायता करने वाला हो। रोज़े से ये भी चाहा गया है कि मनुष्य दूसरों के हक़ उन तक पहुंचाए, इसीलिए रोज़ा रखने वालों से ये बात भी कही गई कि वो ईद मनाने से पहले ज़रूरतमंदों तक उनका हक़ पहुंचाए अर्थात् "फ़ित्रा" अदा करे। रोज़ा ये संदेश देता है कि मनुष्य भौतिक ज़रूरतों को पूरा ज़रूर करे लेकिन उनका ग़ुलाम न बन जाए, मनुष्य जब स्वयं भूख के अनुभव से गुज़रता है तो उसे उन लोगों के दर्द का एहसास होता है जो लोग ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी कितनी कठिन है।

इस तरह रोज़ा एक ऐसी व्यापक इबादत है जो मनुष्य का सम्पूर्ण और समग्र प्रशिक्षण करता है, जो एक तरफ़ मनुष्य का अपने पालनहार के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है, तो दूसरी तरफ़ मानवजाति के साथ रिश्ता जोड़ता है, जो भूखा रखकर लोगों की भूख मिटाने के लिए प्रेरित करता है।

■■



मुख्य स्तंभ



डॉक्टर नफ़ीस अख़्तर
कानपुर, यूपी

क़ुरआन पर जनहित याचिका और हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) का अपमान

क्रिया और प्रतिक्रिया

विचार स्वातंत्र्य मानव का न केवल मौलिक अधिकार है अपितु यही उसके स्वतंत्र नागरिक होने का सबसे महत्वपूर्ण मानक भी है। विचारों के संप्रेषण से ही मानव सभ्यता आगे बढ़ती है। इसी लिए विचारों को व्यक्त करने पर जब तक कि वे विचार हों किसी प्रकार का प्रतिबंध उचित नहीं है। विचारों को प्रतिबंधित करने का अर्थ मानव जीवन को प्रतिबंधित कर उसे पशु जीवन की परिधि में लाकर क़ैद कर देने जैसा है। विचारों के आदान-प्रदान से सच्चाई का अन्वेषण होता है, विचारों की आज़ादी से सत्य को बल मिलता है और असत्य कमज़ोर होता है। सत्य का विकास हमेशा विचार स्वातंत्र्य के माध्यम में होता है, जबकि असत्य का अस्तित्व ही विचारों पर पहरा बैठाने पर टिका होता है। जॉन मिल्टन का यह कथन पूर्णतः सत्य है कि यदि सभी बातों पर खुलकर चर्चा होती है तो सच अपने आप सामने आ जाता है। सच्चाई के अंदर इतनी ताक़त होती है कि वह ख़ुद ही झूठ को पराजित कर देता है। मानव ज्ञान तथा मानव जीवन का विकास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बग़ैर संभव नहीं है। दुनिया ने यह जन्मसिद्ध अधिकार बड़ी क़ुरबानियां देकर और एक लंबे संघर्ष के बाद हासिल की है, अतः उसे इसकी रक्षा के लिए सदा सतर्क भी रहना होगा। वाल्टेयर का यह कथन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाता है कि मुझे मालूम है कि जो कुछ तुम कह रहे हो वह असत्य ही है लेकिन तुम यह कह सको इस अधिकार के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं।

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) में अभिव्यक्ति की आज़ादी को मौलिक मानवाधिकार माना

"कुरआन ने आलोचना और आपत्ति करने वालों से भी कहा कि यदि सत्य उनके पास है तो दलील (तर्क) पेश करो।"

"ऐ पैग़म्बर इनसे कहो कि कुरआन से ज़्यादा सही बात बताने वाली किताब ले आओ तो मैं उसे ही मान लूंगा।"



गया है। हमारे देश भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 (1) भी अभिव्यक्ति तथा वाक स्वातंत्र्य की गारंटी देता है। विचारों की स्वतंत्रता में असहमति जताने और आलोचना करने की आज़ादी भी शामिल है, इसलिए यदि कोई नागरिक किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करता है तो उस पर किसी प्रकार का विरोध जताना ठीक नहीं है। यदि शिया वक़्फ़ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिज़वी को यह लगता है कि क़ुरआन की कुछ आयतें आतंकवाद की शिक्षा देती हैं और यदि वह समझते हैं कि यह आयतें क़ुरआन का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि बाद में किसी शासक द्वारा शामिल की गई हैं तो उन्हें ऐसा कहने का हक़ मिलना ही चाहिए। ख़ासतौर से इसलिए भी क्योंकि स्वयं पवित्र क़ुरआन भी आलोचना, असहमति एवं विचार की स्वतंत्रता की वकालत करता है। क़ुरआन अध्याय 11 आयत 118, 119 में कहा गया है–"यदि तेरा पालनहार प्रभु यह चाहता कि सारे लोग एक ही उम्मत रहें अर्थात् उनमें मतभेद न हो तो उन्हें वह ऐसा ही बनाता, यानी उनमें मतभेद करने और अलग राह पर जाने की क्षमता ही न देता। लोग तो निरंतर मतभेद करते रहेंगे। पथभ्रष्टता से वही बचेंगे जिन पर तेरे रब की दयालुता होगी। ख़ुदा ने तो उन्हें इसी स्वतंत्र चुनाव के लिए पैदा किया है"। अध्याय 10 आयत 99 में कहा गया है "तेरा रब यदि यह चाहता कि पृथ्वी के सारे लोग चाहे न चाहे ईमान ले आएं तो ऐसा ही होता (लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता) तो क्या तुम लोगों से अपनी बात ज़बरदस्ती मनवाओगे?" क़ुरआन ने लोगों से विचार शक्ति के स्वतंत्र प्रयोग की बात बार-बार कही है। यहां तक कि उसने यह भी कहा है कि ऐ पैग़म्बर इनसे कहो कि क़ुरआन से ज़्यादा सही बात बताने वाली किताब ले आओ तो मैं उसे ही मान लूंगा (अध्याय 28 आयत 49)। क़ुरआन ने आलोचना और आपत्ति करने वालों से भी कहा कि यदि सत्य उनके पास है तो दलील (तर्क) पेश करो (अध्याय 2 आयत 112)।

उसने अपनी कोई बात भी बिना तर्क दिए नहीं कही है। तर्क देने और तर्क मांगने का अर्थ ही यह है कि वह उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार देता है और सकारात्मक चर्चा का माहौल बनाना चाहता है। उनके तर्क न देने के बाद भी वह यही कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन (अध्याय 109 आयत 6) क्योंकि वह धर्म के संबंध में किसी ज़ोर- ज़बरदस्ती की अनुमति नहीं देता है (अध्याय 2 आयत 256)। वास्तविक्ता यह है कि क़ुरआन द्वारा प्रस्तुत "मानव का अपने कर्मों और विचारों के लिए ख़ुदा के सामने जवाबदेही (Accountability) का सिद्धांत" ही इस बात पर आधारित है कि मानव को विचार और कर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

वसीम रिज़वी हों या कोई और उन्हें यह हक़ है कि क़ुरआन अथवा उसकी कुछ आयतों पर अपनी आलोचना या असहमति बिना प्रतिशोध, अभिवेचन या दंड के डर के प्रकट कर पाएं, लेकिन जिस तरह हमें उनके विचारों पर प्रतिबंध लगाने का कोई हक़ नहीं, उन्हें भी यह हक़ नहीं है कि किसी विचार या किताब पर ख़ासतौर से वह जिनके मानने वाले करोड़ों लोग हैं, आंशिक या पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाने की मांग करें। सुप्रीम कोर्ट में क़ुरआन से 26 आयतों के हटाने की मांग करने वाली उनकी जनहित याचिका प्रथम दृष्टया ही रद्द कर दिए जाने के क़ाबिल थी।

उनका यह कथित आधार कि यह आयतें आतंकवाद की शिक्षा देती हैं, कोरी बकवास से अधिक कुछ नहीं है। ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट का यह अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वह किसी धर्म के मूलग्रंथ में संशोधन की याचिका पर विचार करे। हास्यास्पद यह है कि उन 26 आयतों के लिए वसीम रिज़वी ने जो हवाले दिए

यदि भगवत गीता में उल्लिखित कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए युद्ध काल में प्रियजनों के हत्या के आदेशों को उनके प्रसंगों से हटाकर आम जीवन से जोड़ कर प्रस्तुत किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क़ुरआन इंसानी जान का आदर करने की शिक्षा देता है तथा युद्ध और हत्या के अपराध के अलावा किसी कारण से किसी की जान लेने को घोर अपराध और समस्त मानवता के क़त्ल समान क़रार देता है और एक इंसानी जान बचाने को समस्त मानवता को बचाने की संज्ञा देता है

हैं वह अधिकतर क़ुरआन से बाहर के हैं। क़ुरआन में कुल 114 अध्याय हैं और वसीम रिज़वी की याचिका में जो अध्याय क्रमांक दिए गए हैं, उनमें से कई 114 के बाद के हैं । कुछ अध्याय की आयतों का जो क्रमांक दिया गया है, उस अध्याय में उतनी आयतें ही नहीं हैं। यह है उनके इस दावे की हक़ीक़त कि उन्होंने यह जनहित याचिका क़ुरआन के गहरे अध्ययन के बाद तैयार की है।

क़ुरआन की कुछ आयतों को उनके वास्तविक संदर्भ से हटाकर उनपर अनुचित आक्षेप लगाने और इस्लाम व मुसलमानों की छवि को बिगाड़ने का खेल नया कदापि नहीं है। यह युद्ध संबंधित आयतें हैं। वसीम रिज़वी ने संभवतः उन्हीं को कापी पेस्ट करना चाहा था लेकिन उन आयतों के सही हवाले तक नहीं लिख सके। अपने संदर्भ से हटाकर पेश की गईं यह आयतें युद्ध क्षेत्र के आदेशों पर आधारित हैं। यदि उन्हें उनके वास्तविक संदर्भ में पढ़ा जाए तो कोई आपत्ति शेष नहीं रह पाती है।

क़ुरआन ने युद्ध की अनुमति और उसके उद्देश्य को बड़े विस्तार से बताया है। क़ुरआन के अनुसार युद्ध उन्हीं से किया जा सकता है जो स्वयं तुम्हारे ख़िलाफ़ युद्ध करने आए हों, तुम ख़ुद किसी पर ज़्यादती नहीं कर सकते हो (अध्याय 2 आयत 190)। उसके बाद यह युद्ध जारी रखने की अनुमति तुम्हें तब तक है जब तक तुम्हारा उत्पीड़न समाप्त होकर तुम्हें विचारों की स्वतंत्रता न हासिल हो जाए। और जब ऐसा हो जाए और वे तुम्हारा उत्पीड़न छोड़ दें तो तुम्हें उनपर ज़्यादती का कोई हक़ नहीं(अध्याय 2 आयत 193)। उन लोगों की सहायता में भी युद्ध किया जा सकता है, जिनका उत्पीड़न हो रहा हो और वह तुम से मदद की गुहार लगा रहे हों (अध्याय 4 आयत 75)।

क़ुरआन ने कहा है कि यदि इस स्थिति में भी युद्ध की अनुमति न हो और ज़ालिमों के मुक़ाबले अगर कुछ लोग न उठ खड़े हों तो इन ज़ालिमों के हाथों गिर्जाघर, सेनेगाग, उपासना गृह और मस्जिदें सब ध्वस्त कर दी जातीं और अपने पसंद की जीवन पद्धति अपनाने की स्वतंत्रता ही बाक़ी न रह पाती (अध्याय 22 आयत 40)। क़ुरआन किसी भी स्थिति में व्यक्तियों को हथियार उठाने की अनुमति नहीं देता है। युद्ध केवल राज्य का क्षेत्राधिकार है। यही कारण है कि युद्ध की अनुमति तब तक नहीं मिली, जब तक मदीना के स्वतंत्र इस्लामी राज्य की स्थापना नहीं हो गई थी। यह है क़ुरआन की शिक्षा कि एक राज्य कब और किन परिस्थितियों में युद्ध कर सकता है। फिर जब युद्ध छिड़ जाए तो युद्ध क्षेत्र में क़ुरआन अपने मानने वालों से पीठ न फेरने, वीरता के कारनामे दिखाने, दुश्मनों के दांत खट्टे करने और उनके जबड़े तोड़ डालने का आदेश देता है। जान-बूझकर कुछ नफ़रत के कारोबारियों ने इन युद्ध क्षेत्र से संबंधित आदेशों को उनके उचित प्रसंग से काट कर आम समाजी जीवन से जोड़कर दिखाने का कुप्रयास किया है।

यदि भगवत गीता में उल्लिखित कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए युद्ध काल में प्रियजनों के हत्या के आदेशों को उनके प्रसंगों से हटाकर आम जीवन से जोड़ कर प्रस्तुत किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क़ुरआन इंसानी जान का आदर करने की शिक्षा देता है तथा युद्ध और हत्या के अपराध के अलावा किसी कारण से किसी की जान लेने को घोर अपराध और समस्त मानवता के क़त्ल समान क़रार देता है और एक इंसानी जान बचाने को समस्त मानवता को बचाने की संज्ञा देता है (अध्याय 5 आयत 32)। वह अपने मानने वालों को बुराई के बदले भलाई करके शत्रुता को मित्रता में बदलने का आदेश देता है (अध्याय 41 आयत 34)। वह माफ़ कर देने, बदला न लेने और ग़ुस्सा पी जाने की तालीम देता है (अध्याय 3 आयत 134)। वह अच्छे कामों में सहयोग करने का आदेश देते हुए सचेत करता

है कि किसी समुदाय की दुश्मनी तुमको नाइंसाफ़ी पर आमादा न कर दे। न्याय करते रहो यही ईशपरायणता के निकट है (अध्याय 5 आयत 2 तथा 8)। यह हैं समाजी जीवन से संबंधित क़ुरआन की वास्तविक शिक्षाएं।

वसीम रिज़वी की याचिका पर बहुत से मुसलमानों की प्रतिक्रिया किसी भी तरह न तो इस्लामी प्रतिक्रिया थी और न ही लोकतांत्रिक। असहमति या विरोध जताने वाले को व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाना, उसके ख़िलाफ़ अपशब्द का प्रयोग करना और उसकी वैचारिक स्वतंत्रता के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन करना सर्वथा अनुचित व्यवहार है। देश की सर्वोत्तम न्यायालय में क़ुरआन में संशोधन की मांग करने वाली उनकी याचिका उनके द्वारा लोकतांत्रिक अधिकार का सही प्रयोग है अथवा ग़लत, यह निर्णय लेना स्वयं अदालत का काम है।

हम अदालत से उसके रद्द किए जाने की मांग तो कर सकते हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत विरोध में उतर आने का हमें कोई हक़ नहीं है। यदि हम अलोकतांत्रिक प्रतिक्रिया देने के बजाय इस अवसर पर क़ुरआन की वास्तविक शिक्षाओं को सामने लाने का प्रयास करते तो यह इस्लाम का सही प्रतिनिधित्व होता और यही उनके इस ग़लत क़दम का सबसे सटीक जवाब भी होता।

अदालत ने तो बिल्कुल वही कार्रवाई की जो उसे करनी चाहिए थी। उसने याचिका को निराधार बताते हुए न केवल ख़ारिज कर दिया, बल्कि उनपर पचास हज़ार का जुर्माना भी लगा दिया।

इसी बीच एक और मामले में डासना के यति नरसिंहानंद ने एक प्रेस कांफ्रेंस में हज़रत मुहम्मद (स.अ.) के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे स्वाभाविक ही मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं। यति नरसिंहानंद, हज़रत मुहम्मद (स.अ.) की आलोचना करना चाहते थे, इस हद तक तो ठीक है लेकिन जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है वह वैचारिक अभिव्यक्ति न रहकर अपमान और धार्मिक भावनाओं को जान-बूझकर आहत पहुंचाने के अपराध की श्रेणी में आता है।

नरसिंहानंद जैसे लोगों का सबसे अच्छा जवाब स्वयं हज़रत मुहम्मद (स.अ.) का बेदाग़ व्यक्तित्व और जीवनी है। अगर हम इस अवसर पर देशबंधुओं को हज़रत मुहम्मद (स.अ.) के वास्तविक चरित्र और संदेश से अवगत कराने का अभियान छेड़ देते तो नरसिंहानंद का झूठ ख़ुद सत्य के प्रचार का साधन बन जाता। आवश्यकता है भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देने के बजाय सुविचारित, रचनात्मक तथा सकारात्मक क़दम उठाने की।

भारत का संविधान भी इसकी अनुमति नहीं देता है। भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत उनपर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि देश भर के मुसलमानों की जो प्रतिक्रिया है क्या वह तनिक भी सुविचारित है। मज़बूत न्यायिक प्रक्रिया अपनाने के बजाय विरोध प्रदर्शन और सिर के बदले पुरस्कार घोषित करने की घोषणा तो उल्टे परिणाम देने वाली नीति है। इससे न केवल यह कि हम निष्पक्ष विचार वाले लोगों की सहानुभूति खो देते हैं बल्कि सस्ती प्रसिद्धि चाहने वालों का मार्ग आसान करते हैं।

विरोध प्रदर्शनों और उनमें हो रही नारेबाजियों को देखकर कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि ये अवसर भी कुछ लोगों के लिए उज्जवल भविष्य बनाने और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का साधन ही होते हैं। वे विरोध प्रदर्शनों की प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर केवल इन स्वर्णिम अवसरों को भुनाने का उद्देश्य रखते हैं। विरोध प्रदर्शनों में मुसलमानों की उग्र छवि और सिर काट कर लाने की बातें इस्लाम और मुसलमानों के विरुद्ध तथाकथित आरोपों को ही सिद्ध करने वाले ग़लत उदाहरण बन जाते हैं।

नरसिंहानंद जैसे लोगों का सबसे अच्छा जवाब स्वयं हज़रत मुहम्मद (स.अ.) का बेदाग़ व्यक्तित्व और जीवनी है। अगर हम इस अवसर पर देशबंधुओं को हज़रत मुहम्मद (स.अ.) के वास्तविक चरित्र और संदेश से अवगत कराने का अभियान छेड़ देते तो नरसिंहानंद का झूठ ख़ुद सत्य के प्रचार का साधन बन जाता। आवश्यकता है भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देने के बजाय सुविचारित, रचनात्मक तथा सकारात्मक क़दम उठाने की।

■■

अंतर्मन



शायमा
दिल्ली

मेरा पहला रोज़ा...

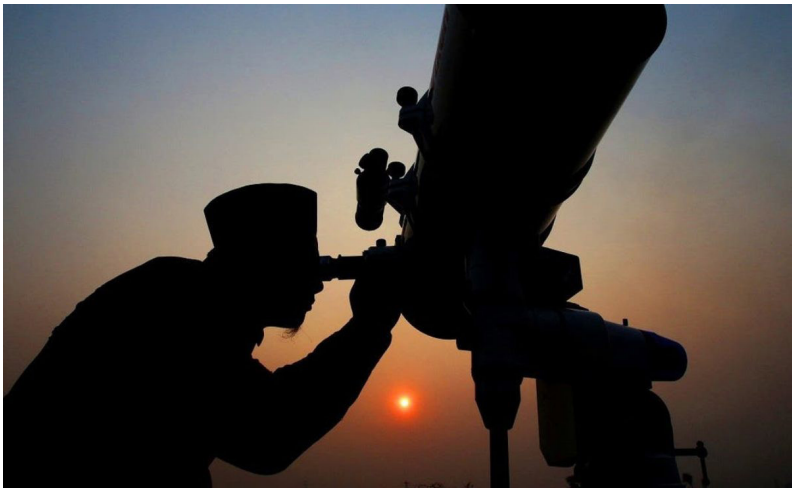

मैं रमज़ान 2021 की पहली सेहरी की तैयारी कर रही थी। मुझे एक डब्बा शहद, जो मेरे एक दोस्त ने दिया था मिला। इससे मुझे अपना पहला इफ़्तार याद आ गया। उसी दोस्त ने बहुत ख़ुशी के साथ मेरा पहला इफ़्तार मेरे लिए तैयार किया था। यह वर्ष 2018 की बात है, जब मैंने पहली बार रोज़ा रखा था। मेरा पहला रमज़ान, मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल समय था। भूख-प्यास की वजह से नहीं, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, कुछ और मुश्किलों का सामना था। मैंने अपने परिजनों को सिर्फ़ एक महीने पहले यह बताया था कि अब मैं मुस्लिम हूं।

मैं जहां देखती वहां लोग अपने-अपने परिवार में सेहरी और इफ़्तार कर रहे होते। मेरे अपने हॉस्टल के कमरे में एक गिलास शरबत और कुछ खजूर के साथ सन्नाटा पसरा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ समय मैंने हॉस्पिटल में बिताया था, अपनी दादी के लिए। उनका ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ था। इस माहौल में मेरी उस दोस्त ने पहला इफ़्तार प्लान किया था, आज भी मुझे याद है कि वह दौड़ते हुए मदर डेयरी गई, फिर ढेर सारे फल लाकर फ्रूट क्रीम बनाई थी। अभी भी याद है वो वक़्त जब गोदावरी ढाबा पर बैठकर मैंने वह खाया था और ये एहसास किया था कि न तो इस रास्ते पर मैं अकेली हूं, न हो सकती हूं। ये बातें केवल इफ़्तार और दावतों से ताल्लुक़ नहीं रखतीं, बल्कि उन लोगों की याद से संबंधित है, जिनको ईश्वर हमारी ज़िंदगी में लाते हैं ताकि हम अकेले न पड़ें, हम कमज़ोर न पड़ें।

रमज़ान नए मुसलमानों के लिए एक मुश्किल और उलझन का वक़्त हो सकता है। रोज़े की पाबंदी उनको अपने परिवार से कई बार टकराव के माहौल में खड़ा कर देती है, क्योंकि रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो परिवार से छिपाई नहीं जा सकती। कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि मुस्लिम समुदाय उनको एक्सेप्ट न करे। इस तरह के ख़यालात दिलो-दिमाग़ में मंडराते रहते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग इससे उबर आते हैं, लेकिन कुछ लोग इससे बाहर नहीं आ पाते और कहीं खो जाते हैं। ईश्वर ने हर इंसान को इज़्ज़त बख़्शी है–

"हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त बख़्शी और उन्हें भूमि और समुद्र में सवारी दी और श्रेष्ठ व पाक़ीज़ा चीज़ें खिलायीं और अपनी बहुत-सी मख़लूक़

आज लगभग 5 साल बाद ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मुझे अंधेरे से बाहर खींचकर सही रास्ते पर ला खड़ा किया है। वह पहला रमज़ान एक सबक़ था और एक उपहार भी। मैंने अपने सफ़र में नए दोस्त पाए, नई चीज़ें सीखीं और यह भी सीखा कि सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता..न ज्ञान का सफ़र और न एक मुस्लिम बनने का सफ़र।

के मुक़ाबले में उन्हें श्रेष्ठता प्रदान की।"

(क़ुरआन 17:70)

और यह इज़्ज़त लिंग, जाति, क्षेत्र, मूल, इतिहास, स्थान पर निर्भर नहीं है। कोई कहीं से आए, किसी बैकग्राउंड से हो, इससे उसकी प्रतिष्ठा का अंदाज़ा नहीं लगाया जाता, सिर्फ़ उसका ईमान देखा जाता है, इसलिए किसी नए मुस्लिम को इन वर्गीकरण में विश्वास नहीं करना चाहिए कि कुछ लोग 'पैदाइशी मुस्लिम' हैं और कुछ लोग 'कन्वर्टेड मुस्लिम', और न मुस्लिम समुदाय को ऐसा एहसास कराना चाहिए। दोनों तरफ़ से हाथ बटाने की ज़रूरत है और ग़लतफ़हमी को दूर करने की भी ज़रूरत।

आज लगभग 5 साल बाद ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मुझे अंधेरे से बाहर खींचकर सही रास्ते पर ला खड़ा किया है। वह पहला रमज़ान एक सबक़ था और एक उपहार भी। मैंने अपने सफ़र में नए दोस्त पाए, नई चीज़ें सीखीं और यह भी सीखा कि सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता..न ज्ञान का सफ़र और न एक मुस्लिम बनने का सफ़र। ईश्वर ने क़ुरआन में फ़रमाया है "ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, पूरे तौर पर इस्लाम में दाख़िल हो जाओ। शैतान के पद्चिन्हों पर न चलो। निःसंदेह शैतान, तुम्हारा खुला शत्रु है।"

(क़ुरआन 2:208)

इस्लाम न किसी 'जनगणना' की आइडेंटिटी का नाम है और न ही ख़ानदानी पहचान का। ये Daily Submission की एक प्रक्रिया है। इस अर्थ में हम सब 'नए मुस्लिम' ही हैं।अपनी नीयत को ताज़ा रखना और ईश्वर पर यक़ीन लाना, ये रोज़ का काम है, रोज़ का वादा है। आपका हर एक क़दम आपको ईश्वर से क़रीब ला सकता है या शैतान से।



रमज़ान ऐसा अवसर है जो सबको बार-बार नहीं मिलता, ख़ासकर कोविड-19 के चलते ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ पिछले साल थे और आज नहीं हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए और आज अपने रोज़े जेल में रख रहे हैं। जब हम अपना रोज़ा खोलते हैं अपने क़रीबी रिश्तेदारों के साथ, तब हमको इन सब लोगों के लिए दुआ करते हुए यह याद रखना चाहिए कि हम सबकी ज़िंदगी एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। कुछ लोगों ने हमें नमाज़ पढ़ना सिखाया, कुछ लोगों ने क़लम पकड़ना, कुछ लोगों ने हमारा हौसला बुलंद किया और कुछ लोगों ने मायूसी से बाहर खींचकर हमें ख़ूब हंसाया। ये सभी मिलकर हमारे जीवन को गढ़ते हैं। आज जब मैं अपना पहला रोज़ा याद करती हूं तो मुझे न मुश्किलें याद आती हैं और न अकेलापन। इसके बजाय मुझे वो वक़्त याद आता है जब मेरे मोबाइल पर पहले रोज़े की मग़रिब की अज़ान की आवाज़ आई, मैं गोदावरी हॉस्टल के आंगन में बैठकर दिन को ढलते हुए देख रही थी, सब चुप थे, सिवाए इस सोच के कि अल्लाह ने मुझे ऐसा मौक़ा दिया जिसकी अहमियत मैं न कभी पूरी तरह से समझ पाऊंगी, न किसी को समझा पाऊंगी। ■■

अभिव्यक्ति
के
ख़तरे



वारिस हुसैन
दिल्ली

एतिराज़ का यह कैसा अंदाज़?

सुबह-सुबह जब अख़बार खोलता हूं तो अक्सर उसमें से छोटे-बड़े पम्फ्लेट्स और हैंडबिल्स निकल आते हैं, जिनमें किसी न किसी चीज़ का इश्तिहार होता है। पर आज सुबह जब अख़बार खोला तो उसमें एक ऐसा हैंडबिल निकला जिसपर निगाहें पड़ते ही मैं उसे हैरत से देखता रह गया। सबसे पहले इसमें छपे जिन अल्फ़ाज़ पर निगाह पड़ी वह थे, "वसीम रिज़वी की ऐसी की तैसी"। यह क्या है भाई? ऐसा सोचता हुआ जल्दी-जल्दी मैं पूरा पर्चा पढ़ने लगा। आगे जो कुछ लिखा था, वह न मैं अपनी ज़बान से बोलना चाहता हूं, न अपने हाथों लिखना। शर्म भी आ रही है और अफ़सोस भी हो रहा है।

क़ुरआन की 26 आयतों पर एतिराज़ उठाते हुए, वसीम रिज़वी ने सुप्रीम कोर्ट में पेटीशन दायर की, यह पूरा हैंडबिल उसी के विरोध में है। किसी भी बात पर एतिराज़ करने का इख़्तियार तो हर किसी को रहता है, पर एक मुसलमान अपने इस हक़ का इस्तेमाल भी पूरी शाइस्तगी और तहज़ीब के दायरे में रहते हुए करता है। इस्लाम और क़ुरआन की रक्षा करना, पर उसी के बताए हुए उसूलों की ख़िलाफ़वर्ज़ी करना, यह कैसा अंदाज़ है? पर यह भी एक हक़ीक़त है कि मुसलमानों में से बहुत सारे लोग नासमझी में उसी गंदी सतह तक ख़ुद को गिरा ले रहे हैं जहां तक एतिराज़ करने वाले गिरे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी न जाने कितनी पोस्टें आप सबने देखी होंगी?

इस्लाम इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। किसी भी हाल में नहीं। वह तो अपने दुश्मनों के साथ भी इंसाफ़ बरतने का हुक्म देता है और अपने विरोधियों से भी नफ़रत करने से मना करता है। पढ़ने वालों ने मुसलमानों को दी गई क़ुरआन की यह तालीम ज़रूर पढ़ी होगी कि, "ऐ ईमान लाने वालो! अल्लाह के लिए ख़ूब उठने वाले, इन्साफ़ की निगरानी करने वाले बनो और ऐसा न हो कि किसी गिरोह की शत्रुता तुम्हें इस बात पर उभार दे कि तुम इन्साफ़ करना छोड़ दो। इन्साफ़ करो, यही धर्मपरायणता से अधिक निकट है। (क़ुरआन 5:8) इतना ही नहीं इस्लाम तो हर बुराई का जवाब भलाई से देने की तलकीन करता है, और बताता है कि नफ़रतों को मिटाने और भाईचारा क़ायम करने का अकेला यही रास्ता है। ज़रा देखिए क़ुरआन की इस आयत को कि, "भलाई और बुराई समान नहीं हैं। तुम (बुरे आचरण की बुराई को) अच्छे से अच्छे आचरण के द्वारा दूर करो। फिर क्या देखोगे कि वही व्यक्ति तुम्हारे और जिसके बीच बैर पड़ा हुआ था, जैसे वह कोई घनिष्ठ मित्र है" (क़ुरआन, 41:34)। इस्लाम हथियार उठाने की इजाज़त भी देता है तो किसी पर ज़ुल्म और ज़्यादती करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ़ अपनी रक्षा में, या दुश्मनों का मुक़ाबला करने के लिए।

न सिर्फ़ यह शिक्षाएं क़ुरआन में दर्ज हैं, बल्कि मुसलमानों ने हमेशा इसी पर अमल किया है। हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की पूरी ज़िन्दगी इसी की तालीम देते हुए गुज़री है। इसी बात को समझाते हुए उन्होंने कहा कि, "मैं इसलिए भेजा गया हूं कि अख़्लाक़ (नैतिकता) को मुकम्मल कर दूं।" उनके बाद उनके सहाबा ने भी यही रास्ता अपने लिए पसंद किया। तारीख़ भरी

पड़ी है उनके इन्साफ़ क़ायम करने की दास्तानों से। दुनिया कुछ भी कहती रहे, पर यह एक हक़ीक़त है कि इस्लाम की इसी अदल, इंसाफ़, भाईचारे और मुहब्बत की तालीम से प्रभावित होकर ही लोग पहले भी इसकी तरफ़ खिंचे चले आए हैं और आज भी आ रहे हैं। दुनिया पर नज़रें उठाकर बस एक बार देखने की ज़रूरत है, आपको इस बात की सच्चाई साफ़ नज़र आ जाएगी।

क़ुरआन पर बेवजह एतिराज़ से मुसलमानों का नाराज़ होना स्वाभाविक है, पर इसके जवाब में आपे से बाहर हो जाना बिल्कुल अस्वाभाविक। यह बात हम मुसलमानों को कभी नहीं भूलनी चाहिए कि अल्लाह ने अपनी मदद का वादा इस्लाम विरोधी लोगों से नहीं बल्कि हर हाल में इस्लाम पर सख़्ती से जमे रहने वालों से किया है। इस तरह की हरकत करके हम ख़ुद को उसकी मदद और कृपा से महरूम हो जाने का सामान तैयार करते हैं। साथ ही इस दुनिया में इस्लाम की तस्वीर को बिगाड़ने और धूल में मिलाने का ज़रिया बन रहे हैं।

यक़ीन मानिए, क़ुरआन और इस्लाम पर एतिराज़ करने वाले अपनी हरकतों पर चाहे कितना ही ख़ुश हो लें, वह कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। क़ुरआन अल्लाह ने नाज़िल किया है और उसी ने इसकी हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी भी ली है। पहले भी इस पर एतिराज़ात की बारिश होती रही है, पर क्या उनसे क़ुरआन का कोई नुक़सान हुआ? नहीं न? तो फिर यक़ीन रखिए कि अब भी क़ुरआन का कुछ नुक़सान नहीं होने वाला। अल्लाह की किताब को नुक़्सान पहुंचाना किसी इंसान के बस में है ही नहीं।

जो लोग इस पर एतिराज़ कर रहे हैं, उन्होंने कभी क़ुरआन को पढ़ने की 'ज़हमत' ही नहीं की है, न इसकी आयतों पर कभी ग़ौर-फ़िक्र किया है। बस अंधों की तरह सुनी-सुनाई बातों पर यक़ीन किए हुए है। कुछ ताक़तें हैं दुनिया में, जो क़ुरआन के पैग़ाम से डरती हैं। उन्हें ख़ौफ़ है कि अगर इसकी तालीम लोगों में आम हो गई, तो लोगों पर से उनका शिकंजा ख़त्म हो जाएगा, लोगों को दुनिया की हक़ीक़त और इसमें इंसानों के रोल का सही इल्म हो जाएगा और वह सब इसकी तरफ़ खिंचे चले आएंगे। उनकी सारी दुकान बंद हो जाएगी। यही ख़ौफ़ उन्हें खाए जा रहा है, इसलिए क़ुरआन के ख़िलाफ़ बोलना, उसके बारे में झूठ फैलाना, उस पर एतिराज़ करना, उस पर पाबन्दी लगवाने की कोशिश करना और लोगों के दिलों में उसके लिए नफ़रत पैदा करना, उनकी ज़रूरत बन गई है। वह वही कर रहे हैं, जो उनको करना चाहिए। बेचारी भोली-भाली जनता नासमझी में इनकी बातों पर यक़ीन कर बैठी है और बड़ी मासूमियत से उनका साथ दे रही है। उसे इन सारी साज़िशों का कुछ भी इल्म नहीं है और न ही वह इन झमेलों में पड़ना चाहती है। जिधर उनका रुख़ घुमा दिया गया है, उधर ही चले जा रहे हैं। भेड़ों के रेवड़ की तरह।

यक़ीन मानिए, क़ुरआन और इस्लाम पर एतिराज़ करने वाले अपनी हरकतों पर चाहे कितना ही ख़ुश हो लें, वह कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। क़ुरआन अल्लाह ने नाज़िल किया है और उसी ने इसकी हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी भी ली है।

हम मुसलमानों की यह बड़ी नासमझी होगी कि हम उनके एतिराज़ात के जवाब में उन्हीं की तरह गुमराही की बातें करने लगें और गाली-गलौज पर उतर आएं। यह वह रास्ता हरगिज़ नहीं हो सकता जो हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने हमारे सामने पेश किया है और जिस पर चलकर मुसलमानों ने दुनिया में मुहब्बत की शमा जलाई थी, इंसानी हमदर्दी और भाईचारे का माहौल पैदा किया था और अदल और इंसाफ़ का ऐसा समाज क़ायम किया था जिसमें एक औरत अकेले सोना उछालती हुई चलती थी और उसे अल्लाह के सिवा किसी का ख़ौफ़ नहीं होता था।

नहीं जनाब, इन नफ़रतों का जवाब देने का यह तरीक़ा नहीं है। आप तो इसके जवाब में इनको तोहफ़े के तौर पर अल्लाह की किताब पेश कीजिए, वही किताब जिसके ख़िलाफ़ यह ज़हर उगल रहे हैं। इनके सामने रसूल (सल्ल०) की जीवनी पेश कीजिए, जिससे अब तक इनका गुज़र नहीं हुआ है और जिसमें इनकी कामयाबी का सामान छिपा हुआ है। अपने दिल में यह फ़िक्र पैदा कीजिए कि तेज़ी से दोज़ख़ की आग की ओर दौड़ते इन भाइयों को कैसे आग से बचाया जाए। कैसे इनको समझाया जाए कि क़ुरआन पर मुसलमानों की कोई मोनोपॉली नहीं है। यह तो ज़मीन और आसमान के मालिक की सबसे अज़ीम नेमत है, जिससे उन्हें भी फ़ायदा उठाना चाहिए और यह उनका हक़ भी है।

अल्लाह ने इनके ज़रिए अपनी किताब पर एतराज़ करा कर आपको यह अनमोल अवसर प्रदान कर दिया है कि आप इनको अंधेरों से बाहर निकालकर हक़ की रौशनी में लाने की भरपूर कोशिश कर सकें। इस अवसर को व्यर्थ न जाने दीजिए। इसी में आपकी भी भलाई है और इनकी भी। ■■

सौहार्द



तारिक़ अल-सवीदान

औरों को प्रोत्साहन देने से बढ़ेगा सामाजिक सौहार्द

बिना शर्त मुहब्बत के लिए लोगों को उनके गुण और दोषों के साथ स्वीकार करें। उनके गुणों को पूर्णता तक ले जाने के लिए दूसरों को उनकी नज़रों से देखना सीखें। जो आप चाहते हैं, उसे मत देखें, बल्कि यह देखें कि वे क्या चाहते हैं।

एक बार, अमेरिकी दार्शनिक राल्फ वाल्डो एमरसन और उनका बेटा एक घोड़े को अस्तबल के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे एक ग़लती कर रहे थे जो आमतौर पर लोगों से होती है, हम क्या चाहते हैं? एमरसन घोड़े को धक्का दे रहा था और उसका बेटा उसे आगे खींच रहा था, लेकिन घोड़े की अपनी इच्छा थी, वह खेत छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने अपने पैर ज़मीन पर जमा दिये। उनकी नौकरानी ने यह दृश्य देखा। फिर उसने घोड़े को अंदर लाने का एक तरीक़ा सोचा। उसने अपना अंगूठा घोड़े के मुंह पर रख दिया। घोड़ा उसे चूसने लगा। उसके बाद वह धीरे-धीरे चलती रही और घोड़ा उसके साथ अस्तबल में प्रवेश कर गया। यह घटना हास्यास्पद हो सकती है, लेकिन अगर यह जानवरों के साथ हो सकती है तो इंसानों के साथ क्यों नहीं। असीमित प्रेम का रहस्य यह है कि लोग जैसे भी हों, उन्हें स्वीकार करें वे जैसा सोचते हैं वैसा ही सोचें।

प्रोत्साहन

कई लोग अपने सहकर्मियों के साथ वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से सामंजस्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कुछ के लिए, पैसा कमाना जीवन में सर्वप्रमुख है। पैसों के कारण ज़ाहिरी तौर पर ये लोग आपके साथ होंगे और आपकी हां में हां मिलाएंगे लेकिन पैसे से आप लोगों के दिल, उनकी भावनाओं, उनके प्यार और उनकी बुद्धि को नहीं जीत सकते। अर्थात्, भले ही आप मनुष्य के बाहरी स्वरूप को ख़रीद लें, उसके मन को नहीं ख़रीद सकते।

बहुत से लोगों को इस तथ्य का

एहसास ही नहीं हो पाता कि हम इंसानों के मालिक नहीं बन सकते, हां हम केवल उनका प्यार जीत सकते हैं और जब आप किसी का प्यार जीत लें तो आप उनकी आंतरिक भावनाओं पर एक हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। आप उसे बताएं कि वह स्वयं अपना ज़िम्मेदार है, अपने फ़ैसलों और कामों का ज़िम्मेदार है। उसे आवश्यक अधिकार और स्वतंत्रता भी दें ख़ुद उसके भीतर से तहरीक पैदा हो। आपकी मुख्य भूमिका उसकी मदद करना है। अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, उसकी प्रशंसा करें और उसे प्रोत्साहन दें, साथ ही उसके लिए दुआ करें। यदि इसमें कोई कमी हो, तो इसके ख़िलाफ़ आदेश जारी करने के बजाय इसका मार्गदर्शन करें।

ह्यूमन टच की दस विधियों का उपयोग करें

ह्यूमन टच या मानव स्पर्श के दस तरीक़े एक उदार हृदय और कोमल व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। दस अक्षरों को दस वाक्यों में फैलाएं।

1. उस की सुनें, 2. उसकी भावनाओं को समझें, 3. उसे प्रेरित करें, 4. उसके प्रयासों की सराहना करें, 5. उसे सूचित रखें, 6. उसे प्रशिक्षित करें, 7. असकी आंखें खोलें, 8. उसकी विशिष्टता को समझें, 9. उसके साथ संपर्क में रहें, 10. उसका सम्मान करें

आप दूसरों के लिए अधिक उपयोगी बनें

अमेरिकी लेखक जिग जिगलर रिश्तों के सुनहरे नियम की ओर इशारा करते हैं। "दूसरे बहुत से लोग जो कुछ पाना चाहते हैं उन्हें पाने में उनकी मदद करते रहें, तो संभावना है कि आप अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करेंगे जो आप चाहते हैं।" कुछ लोग दूसरे क्या चाहते हैं इसकी अनदेखी करते हैं और केवल ख़ुद पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। उनके लिए, अन्य लोगों की स्थिति अपने स्वयं के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक पुल या साधन की होती है। ऐसी हालत में सद्भाव नहीं रहता। सद्भाव का जीवन तभी संभव है जब दोनों पक्षों में देने और त्याग करने की भावना हो, रिश्ते में इस शिक्षा की गर्माहट मौजूद हो।

"और जब तुम्हें सलाम किया जाए (या कोई उपहार दिया जाए) तो उससे बेहतर तरीक़े से जवाब दो। या (कम से कम) इसे ही वापस कर दो। निश्चित रूप से अल्लाह सभी चीज़ों का हिसाब लेने वाला है। (सूरह निसा : 86)

पैग़म्बर (सल्ल०) ने कहा, "जो कोई अल्लाह के नाम पर शरण मांगे, उसे शरण दो। जो कोई भी अल्लाह तआला के नाम सवाल करता है, उसे दो, जो तुम्हें आमंत्रित करे, उसे स्वीकार करो और जो तुम्हारे साथ भलाई करे

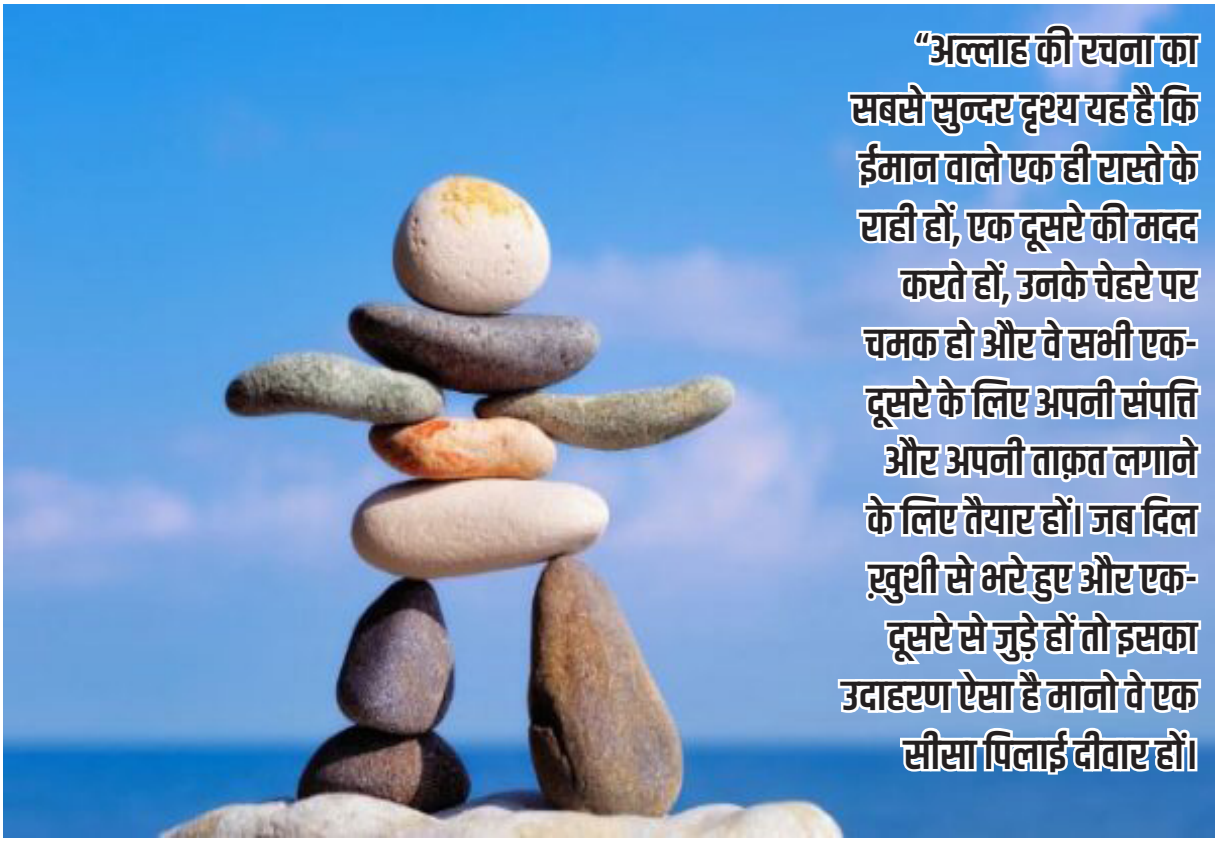



उसके साथ भलाई करो।

(अबू दाऊद, निसाई)

जब दोनों ओर देने और मिलकर काम करने की भावना होती है, तो करुणा और दया की भावनाएं बढ़ती हैं और अगर मामला इसके विपरीत हो, तो परिणाम भी अलग होगा। मनोदशा की तीव्रता और व्यवहार की कठोरता से एक-दूसरे की उपेक्षा और एक-दूसरे का अनादर करने से प्रेम और सद्भाव का वातावरण ग़ायब होने लगता है। यह सच है, "जो दूसरों पर दया नहीं करता, उसपर दया नहीं की जाती। (बुख़ारी)

अपनी क्षमताओं को जागृत करें

मनुष्य में कई सपने देखने की क्षमता होती है। अपनी क्षमताओं को जागृत करें। हम अपने अंदर देखते हैं और अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, तो हम दूसरों के अन्दर की आवाज़ सुन पाएंगे और हम समझने-समझाने की कोशिश में सफल हो पाएंगे। हम उनकी नज़रों से देखें, उनकी ज़रूरतों को समझतें, तो हम महसूस करेंगे कि वे भी इंसान हैं जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। हम महसूस करेंगे कि उनकी कमज़ोरी हमें यह मौक़ा देती है कि हम उनकी मदद कर सकें, उनके प्रति प्यार जताएं और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करें।

रचनात्मकता और मानसिक क्षमताएं : हमारे अपने विचारों से स्वयं की रचनात्मकता पर हमारे दृष्टिकोण दूसरों के भीतर छिपी रचनात्मकता को खोजने और उन्हें निखारने में मदद करते हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाने के बाद, हमारे सामने आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। कई उपयुक्त, व्यावहारिक, रचनात्मक और उत्साहजनक रास्ते खुलेंगे और आप 'एक समाधान' की सीमा से बहुत आगे निकल जाएंगे। यह सब तभी संभव है जब आप अपने सामने वाले व्यक्ति के साथ नियमित बैठकें करें, उसकी बात सुनें, उससे अच्छी बातें करें, उसकी क्षमताओं और प्रतिभाओं को तलाशने की कोशिश करें। इस प्रयास से सद्भाव का माहौल बनेगा। हम ईमानदारी से सलाह दे पाएंगे। जब हम दूसरों के दिलों के क़रीब होने की कोशिश करते हैं, तो हम एक-दूसरे के लिए खुल जाते हैं। इस तरह, हम अपनी और दूसरों की कमज़ोरियों को दूर कर सकते हैं और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। तब हम कह सकते हैं :

"अल्लाह की रचना का सबसे सुन्दर दृश्य यह है कि ईमान वाले एक ही रास्ते के राही हों, एक दूसरे की मदद करते हों, उनके चेहरे पर चमक हो और वे सभी एक-दूसरे के लिए अपनी संपत्ति और अपनी ताक़त लगाने के लिए तैयार हों। जब दिल ख़ुशी से भरे हुए और एक-दूसरे से जुड़े हों तो इसका उदाहरण ऐसा है मानो वे एक सीसा पिलाई दीवार हों।

■■

अंतिम संदेशवाहक और सनातन धर्म

कंपैरेटिव रिलिजन



भीष्म प्रसाद गुप्त
झूसी, इलाहाबाद

मानव समाज को अपने उत्थान-पतन के लिए महामानव, महापुरुष पैग़म्बर एवं नबी की आवश्यकता पड़ती रही है। वह ईश्वर ही है जो मानव समाज की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए समय-समय पर अपना संदेशवाहक भेजता रहा है। भले ही वह एक भूभाग में सम्मानित या उपदेष्टा रहा हो पर उसकी महत्ता पूरे विश्व के लिए होती है।

इन महापुरुषों की अनुपस्थिति में हम धर्म के सच्चे स्वरूप से अनभिज्ञ, अंधे शीश की भांति अंधकूप में गिरते हैं। इससे बचने के लिए हमें धर्म के सत्य स्वरूप का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यह ज्ञान ईश्वरीय वाणी को प्रतिपादित करने वाले पवित्र ग्रंथ से ही प्राप्त हो सकता है। मूल रूप से यह ग्रंथ वेद, बाइबल तथा क़ुरआन है। ईश्वर ने समय-समय पर अपने संदेशवाहकों पर आकाशवाणी के माध्यम से मानव विकास के मूल रहस्य को प्रतिपादित किया। यही मूल मंत्र इन पवित्र ग्रंथों में संग्रह किए गए हैं।

सृष्टि रचना के प्रारंभ से अब तक जितने भी संदेशवाहक आए, वे पहले वाले संदेष्टा तथा उनकी शिक्षाओं की पुष्टि करते रहे और कहते रहे कि वे कुछ नया लेकर नहीं आए हैं, बल्कि अपने अग्रज की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने तथा उसमें अनुयायियों द्वारा स्वार्थपूर्ण किए गए फेरबदल को शुद्ध रूप देने आए हैं। इससे यह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही संदेशवाहक ईश्वर का संदेश लाते रहे परंतु पुस्तक के रूप में उन वचनों को शुद्धतः संग्रहित कर लेने की व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण समयांतर के साथ विघटनकारी लोगों द्वारा उसमें फेरबदल कर दिया जाता रहा, उसे ही शुद्ध रूप देने के लिए दूसरे संदेष्टा की आवश्यकता पड़ी। यह प्रक्रिया तब तक चली जब तक उन संदेशों को पूर्ण रूप से शुद्ध रूप में सुरक्षित संग्रह कर लेने की समुचित व्यवस्था न हो गई। आधुनिक युग में जब किसी भी वस्तु को संग्रहित कर लेने की व्यवस्था विकसित हो चुकी तो ऐसे में एक अंतिम संदेशवाहक की आवश्यकता पड़ी जो पूर्वत संदेशवाहकों की पुष्टि करे तथा इस प्रक्रिया पर पूर्ण विराम लगाए।

क्या वह अंतिम संदेशवाहक आएगा? या आ चुका है? अगर वह आ चुका है तो वह कौन है?

आइए हम सनातन धर्म की प्राचीन पुस्तक वेद से प्रारंभ कर आधुनिक पुस्तक पवित्र क़ुरआन तक संक्षेप में इसकी पुष्टि करने की कोशिश करें। इस प्रक्रिया का प्रारंभ किस संदेशवाहक ने किया तथा पूर्णविराम किस संदेष्टा ने लगाया? प्रारंभिक संदेष्टा तथा अंतिम संदेष्टा के मध्य अनेक संदेष्टा अवतरित हुए परंतु उन सबका यहां विस्तृत वर्णन वर्णन असंभव है।

स्वार्थी धर्म पुरोहितों द्वारा ईशदूत के विश्व से ओझल होते ही उनकी शिक्षाओं में फेरबदल कर दिया जाता रहा। उन संदेशों को किसी एक भूभाग तथा समुदाय विशेष के लिए घोषित कर दिया जाता रहा। यद्यपि वे संदेश विश्वव्यापी होते थे।

सनातन धर्म जहां प्रथम संदेशवाहक के विषय में जानकारी देता है वहीं अंतिम संदेष्टा के विषय में भी भविष्यवाणी करता है। भविष्य पुराण प्र०स०प्र०ख० चतुर्थ अ० 18/19 बाबा आदम तथा माता हव्वा के वृत्तांत का उल्लेख उसी प्रकार करता है जिस प्रकार आधुनिक ग्रंथ पवित्र क़ुरआन में वर्णित है। आदम ही वो पहले व्यक्ति हैं जो ईश्वर द्वारा पैदा किए गए परंतु कली द्वारा ठग लिए जाने के कारण उन्हें स्वर्ग से

निकाल दिया गया और पृथ्वी पर भेजा गया। अतः आदम ही पहला व्यक्ति तथा पहला संदेष्टा है जो अपनी संतानों को उपदेश देने के लिए भेजा गया।

आदमो नाम पुरुषः पत्नी हव्यवती स्मृता।

विष्णु कर्मयतो जातौ मलेच्छ वंश प्रवर्धनौ..।।

इसी एकतांता में परवर्ती ईशदूतों का वर्णन भी मिलता है। आदम के श्रेष्ठ संतानों से गुज़रते हुए न्यूह (नूह) नामक संदेष्टा के समयकाल में जल प्लावन द्वारा प्रलय के वर्णन का वृत्तांत भी मिलता है। साथ-साथ अविराम अर्थात् इब्राहीम तथा हारन यानी हारून नामक संदेष्टा का वर्णन भी उसी प्रकार मिलता है जिस प्रकार बाद के धर्म ग्रंथ बाइबल तथा क़ुरआन में है।

अविराम (इब्राहीम) के विवरण के पश्चात ईसा मसीह का वर्णन है। जब आप स्वयं अपने आपको कुंवारी मां के गर्भ से उत्पन्न एक संदेष्टा घोषित करते हैं और कहते हैं कि मैं सत्य के व्रत में परायण उपदेशक हूं, सत्य के नष्ट तथा मर्यादाहीन हो जाने पर मैं मसीह यहां आया हूं, मेरे द्वारा स्थापित धर्म को सुनो। ईश्वर अचल है जैसा की सूर्य।

इस प्रकार ईशदूतों के आने की प्रक्रिया चलती रही।व्यवस्था का विकास होता रहा तथा वह समय भी आ गया जब संदेष्टा के उपदेशों को सुरक्षित तथा शुद्ध रूप में संग्रहित किया जा सके। अब आवश्यकता तथा इंतज़ार थी तो सिर्फ़ अंतिम संदेष्टा का जिसके विषय में सनातन धर्म भविष्यवाणी करता है।

वेद पुराण अंतिम संदेष्टा को कहीं कल्कि अवतार तो कहीं नराशंस (प्रशंसित) के नाम से अवतरित होने का इशारा करता है। अथर्वेद 20वें कांड 127 वां सूक्त का प्रथम मंत्र तो निराशंस के आने का समय निर्धारण भी करता है।



"नराशंस वेदावतरण के पूर्व नहीं अपितु वेदावतरण के बाद की स्थिति में स्तुत्य होगा।" (अर्थ० 20वां का० 127 सूक्त)

भविष्य पुराण नराशंस की पहचान भी बताता है कि वह जन्म से ख़तना किया होगा, चोटी से हीन, दाढ़ी रखने वाला, ऊंची बात करने वाला, शुद्ध पशुओं का आहार करने वाला होगा।

"लिंगछेदी शिखाहीनः शमश्रुधारी स दूषकः।

उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो ममः ।।"

वह नराशंस सवारी के रूप में ऊंटों का प्रयोग करेगा तथा बारह पत्नियों वाला होगा।

अतः इस आधार पर जब हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं तो अंतिम संदेष्टा के जन्म की पुष्टि हो जाती है। जब हम वेदों में वर्णित नराशंस की निशानियों पर दृष्टिपात करते हैं तो अरब के मरुस्थल में एक व्यक्ति मिलता है जो आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व जन्म ले चुका है। उस अंतिम संदेष्टा का नाम मोहम्मद (प्रशंसित) है।

जब वेद बाइबल और क़ुरआन सभी धार्मिक ग्रंथ अपने इस अंतिम संदेष्टा की पुष्टि कर चुके हैं तथा अंतिम संदेष्टा अपने पूर्ववर्ती संदेशवाहकों की पुष्टि करते हैं तो फिर यह अलग-अलग पंथ किस प्रकार कहां से आ गए। क्या संदेशवाहकों के क्रम ने अपने से पूर्व के संदेशवाहकों की पुष्टि नहीं की?निस्संदेह की। फिर भी विश्व का एक ही पंथ न होकर अलग-अलग कैसे हो गया? इससे यह स्वतः ही सिद्ध नहीं हो जाता कि स्वार्थी पुरोहितों द्वारा स्वार्थवश एक अलग पंथ की स्थापना कर ली गई।

अविराम (इब्राहीम), न्यूह (नूह) का धर्म भी वही धर्म था जिसकी स्थापना आदम से हुई थी। क्या ईसा का धर्म भी वही नहीं था? परंतु स्वार्थी क़िस्म के समर्थकों ने इसे अलग पंथ ईसाई धर्म के नाम से स्थापित कर लिया।

समय निरंतर अग्रसर रहा। धर्म में बुराइयां बढ़ गईं, धर्म के नाम पर अत्याचार होने लगा, चारों तरफ़ अंधकार छा गया, यही समय था अंतिम संदेशवाहक के जन्म लेने का। अंतिम संदेशवाहक ने जन्म लिया। विश्व को अंधेरे से उजाले की तरफ़ लाए। अपने से पूर्व के संदेशवाहकों की पुष्टि की और कहा कि मैं कोई नया धर्म लेकर नहीं आया परंतु पहले के संदेशवाहकों की पुष्टि करता हूं तथा उनकी शिक्षाओं में की गई मिलावट को शुद्ध रूप देने आया हूं। अतः मेरी बात सुनो, जो मैं कहता हूं वही सत्य है, हम सबका दादा अविराम इब्राहीम एक है। मैं ही अंतिम संदेशवाहक नराशंस हूं। इस प्रकार वेद पुराणों द्वारा प्रमाणित अंतिम संदेष्टा नराशंस/ मुहम्मद ने एक ऐसा आंदोलन चलाया कि मानव जाति के संपूर्ण चरित्र को बदल डाला।



सोशल मीडिया : जर्जर स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल

सीजनल बीमारी और कुछ कोरोना के केसों ने देश में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी है। इन विकट परिस्थितियों में जनविचारों का मंच कहे जाने वाले सोशल मीडिया पर देश की स्वास्थ्य सेवाओं की जर्जर दशा को लेकर एक लंबी बहस छिड़ी हुई। एक ओर सरकार समर्थकों का कहना है कि अगर अचानक स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता से अधिक मरीज़ आ जाएंगे तो समस्या होगी ही, इसमें मोदी सरकार का क्या दोष? दूसरी ओर अन्य लोगों की राय है कि अगर सरकार ने मूर्ति और स्टेडियम बनाने पर करोड़ों रुपये ख़र्च करने की जगह स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और नए अस्पताल बनाने पर पैसा ख़र्च किया होता तो आज यह स्थिति न होती।

कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया, अपनी सरकार की वाह-वाही के लिए मोदी सरकार ने सैकड़ों टन ऑक्सीज़न विदेश निर्यात कर दिए, इसलिए भी मरीज़ों के सामने ऑक्सीज़न का संकट खड़ा हुआ। कई यूज़र इस हालत के लिए सरकार की भाषण-नीति को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता अख़्लाक़ अहमद ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि 'अगर आपको लगता है कि इस तबाही की वजह सिस्टम की नाकामी है तो आप ग़लत हैं, बल्कि यह सिस्टम हमेशा से ऐसा ही है। फ़र्क़ इतना है कि सिस्टम से आपका इस तरह सामना पहली बार हुआ है।'

अस्पतालों में बेड की कमी, कर्मचारियों की ओर से बरती जा रही घोर लापरवाही, डॉक्टरों की लापरवाही पहले भी मीडिया की सुर्ख़ी बनते रहे हैं। इस समय देश में बीमारी का ग्राफ़ बढ़ने के साथ ज़रूरत इस बात की थी कि मरीज़ों के साथ आम दिनों से अलग हटकर व्यवहार किया जाता। इसको मेडिकल आपातकाल मानते हुए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लोग परेशान और डरे हुए हैं। मीडिया लगातार समाज में कोरोना के नाम पर डर फैला रहा है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी अगर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति ढाक के तीन पात जैसी रहेगी तो उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना संक्रमण की संभावना को देखते हुए पश्चिम बंगाल में अपनी रैली रद्द कर दी। इसके बाद मोदी की रैली पर यह कहकर सवाल खड़े किए जाने लगे कि इससे राज्य में कोरोना की स्थिति गंभीर होगी। लोगों की आलोचनाओं को देखते हुए मोदी ने भी बाद में अपनी रैली रद्द करने का एलान कर दिया। इस पर फेसबुक यूर्जर और सियासतदान

अजय पाण्डेय ने लिखा कि मोदी ने इधर अपनी चुनावी रैली रद्द की, उधर चुनाव आयोग ने भी चुनाव रैलियों को रद्द करने का एलान कर दिया, ये रिश्ता क्या कहलाता है? वही मशहूर पत्रकार रविश कुमार ने अपनी फेसबुक पोस्ट में दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाते हुए लिखा कि ऑक्सीज़न की कमी के चलते मैक्स अस्पताल ने मरीजों की भर्ती बन्द कर दी है, ये हालात हैं अच्छे अस्पतालों के, कोई इस क़यामत से बचाओ। मालूम रहे कि मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने मोदी के सामने ऑक्सीज़न की कमी का मुद्दा उठाया, इसके बाद भी अस्पतालों में ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से अनेक मरीज़ों ने दम तोड़ दिया।

सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के साथ ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा भी काफ़ी चर्चा में रहा। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा कमी महसूस की गई। ट्वीटर यूर्जर प्रिया ने लिखा कि इनको हर भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश चाहिए। एक विदेशी मित्र (डोनाल्ड ट्रंप) को जिताने के चक्कर में कोरोना अपने देश ले आए। विदेशियों के लिए सीएए क़ानून बनाया, टीका विदेश बेच आए और ऑक्सीज़न भी विदेश बेच आए। मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया कि साहेब की सियासत का इतना-सा फ़साना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। वहीं एक अन्य ट्वीटर यूज़र रिया चक्रवर्ती ने लिखा कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, यह कहावत आज सच हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया कि कोरोना पेशेंट के लिए पूरी रात पटना के आईजीआईएमएस मनीष मंडल को कॉल करता रहा, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं रिसीव की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेला के ट्वीटर अकाउंट से ट्वीट किया गया कि वन नेशन वन टैक्स है, तो वन नेशन वन रेट क्यों नहीं? भारत सरकार को अलग रेट पर वैक्सीन मिलेगी और राज्य सरकार को अलग रेट पर, ऐसा क्यों?

लखनऊ निवासी एक शिक्षिका कान्ति शिक्षा ने लिखा कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई बीमार हो जाए तो वह तब तक अस्पताल में भर्ती नहीं हो होगा जब तक सीएमओ साहब फार्म पर लिखकर न दें, बड़े-बड़े तुर्रम ख़ां इस वक़्त सीएमओ साहब से नहीं लिखवा पा रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों में बेड ख़ाली नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य विनीत अग्रवाल शरदा का ट्वीट बहुत चर्चा में रहा। उन्होंने अपने ट्वीटर अकाउंट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए लिखा कि हमारे दो मरीज़ आगरा के प्रभा हास्पिटल में भर्ती हैं, उन्हें रेमेडिसविर इंजेक्शन की ज़रूरत है। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप जी से फ़ोन पर संपर्क किया, तो उन्होंने बहुत गन्दा जवाब दिया, जो इंसानियत को बहुत शर्मिंदा करने वाला है। इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स यह सवाल करते नज़र आए कि जब भाजपा अपने ही लोगों की सहायता नहीं कर रही है, तो वह अन्य नागरिकों की सहायता क्या करेगी? ख़ैर इस पूरी स्थिति के लिए सिर्फ़ इतना कहा जा सकता है कि 'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय।' ■■



युवा तेवर



सआदत ख़लीफ़ा
(जेएनयू शोधार्थी)

छात्र राजनीति के सात दौर, भविष्य की चिंता...

यूपीए-2 के दौर से ही उच्च शिक्षा का बाज़ारीकरण और इसे दूसरे मुल्कों को गेट्स के नाम पर बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसको एनडीए की सरकार ने 2014 में आगे बढ़ाया। अब देखते ही देखते छात्र राजनीति पांचवें दौर में दाख़िल हो चुकी थी जहां 'शिक्षा बचाओ' के नारे बुलंद हो रहे थे।

भारत में छात्र राजनीति का इतिहास बीसवीं शताब्दी से शुरू होता है, जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने अपने उपनिवेश की जड़ों को मज़बूत करने के लिए, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के नाम पर ढांचागत परिवर्तन किया। 1857 की बग़ावत ब्रिटिश उपनिवेशवाद के लिए ख़तरे की घंटी थी, इस ख़तरे की घंटी को टालने के लिए उसके सामने एक ऐसा वर्ग तैयार करने का एजेंडा था जो उसकी नीतियों पर सवाल किए बिना, औपनिवेशिक हुकूमत में अपने आपको पूरी तरह समर्पित करे, इसीलिए मशहूर उत्तर आधुनिक दार्शनिक मिशेल फुको की बात सही लगती है, जब वह कहते हैं कि वर्तमान आधुनिक शिक्षा व्यवस्था छात्रों को सीधा-साधा (docile) बनाना चाहती है और यह उम्मीद लगाए बैठी है कि भारतियों को अनुशासित करते हुए सीधा करेंगे, लेकिन बीसवीं सदी की शुरुआत में ही उसी तबक़े ने जो पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा से लैस था, लिबर्टी, इक्वैलिटी और फ्रेटर्निटी जैसी अवधारणाओं को पढ़कर ख़ुद ब्रिटिश उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ आज़ादी की तहरीक चलाई। लाला लाजपत राय द्वारा शुरू किया गया स्टडी सर्किल हो, सुभाष चंद्र बोस का स्वराज का नारा हो, गांधी जी का अहिंसावाद या फिर अंबेडकर का एनिहिलेशन ऑफ़ कास्ट (annihilation of caste) का संघर्ष हो, तमाम आंदोलनों में छात्र और युवा बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। इसके चलते बहुत सारे छात्र संगठन और स्टडी सर्कल स्थापित हुए, जिन्होंने अपने-आपको संगठित करके आज़ादी की लड़ाई लड़ी।

दुख की बात यह है कि भारत



की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत जिस राष्ट्रीय आंदोलन में छात्र राजनीति का बहुमूल्य योगदान था, भारत को दुनिया के सामने राष्ट्र-राज्य की हैसियत मिल जाने के बाद, उसी राष्ट्रीय आंदोलन के गर्भ से पैदा हुए भारतीय हुक्मरान ने आगे चलकर वही किया जो एक असुरक्षित राष्ट्र-राज्य का हुक्मरान करता है। तमाम विरोध के बावजूद उस समय के सत्ता वर्ग ने छात्र राजनीति को हतोत्साहित किया। फिर छात्र राजनीति और विद्यार्थी शक्ति उस वक़्त पुनर्जीवित हुई, जब जेपी आंदोलन सामने आया। यहां से छात्र राजनीति का दूसरा दौर शुरू होता है। पहले दोनों दौर में छात्र राजनीति और आंदोलन की सक्रियता का कारण देश में विद्यमान गंभीर संकट का बढ़ना रहा है। पहले दौर में आज़ादी की शदीद तलब थी, अंग्रेज़ों को देश से भगाना था, तो दूसरे दौर में चुनाव सुधार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे सबसे ऊपर रहे। आपका ये विश्लेषण भी हो सकता है कि आने वाली छात्र राजनीति के दौर भी इसी प्रकार उभरे हैं, जब मुल्क में गहरे संकट रहे हैं। इन दोनों दौर में छात्र आंदोलनों में बड़ी संख्या में पश्चिमी शिक्षित संभ्रांत वर्ग (western educated elites की भागीदारी रही है, इसीलिए इन आंदोलनों के मुद्दे भी ज़्यादातर वही होते थे जो संभ्रांत वर्ग को भी प्रभावित कर रहे हों। ऐसा इसलिए भी हो रहा था कि उच्च शिक्षा में अधिक भागीदारी संभ्रांत वर्ग की ही हो पा रही थी।

तीसरा बड़ा दौर शुरू होता है, मंडल समर्थक और मंडल विरोधियों के संघर्ष से। एक तरफ़ अपने-आपको मज़लूम साबित करने की नाकाम कोशिश में लगे सवर्ण जाति के छात्र-युवा तो दूसरी तरफ़, ऐसा समूह जिसको सदियों से इस मुल्क में शिक्षा से वंचित रखा गया। यह ऐसा दौर था जहां प्रगतिशील वर्ग के लोग भी मंडल विरोधी ख़ेमे में नज़र आए। इस समय यह भी देखा गया कि राइट विंग ने राम जन्म भूमि रथयात्रा निकाली थी। इस रथयात्रा पर बहुतों ने यह भी सवाल उठाया है कि कैसे दक्षिणपंथी राजनीतिक दल ने सामाजिक न्याय के सवाल को दबाने और इसे डाइवर्ट करने के लिए इस दौर में रथयात्रा निकाली। इस रथयात्रा के फ़ौरन बाद मुल्क में सांप्रदायिक हिंसा की एक श्रृंखला शुरू हो गई। मंडल की सिफ़ारिशों की सकारात्मक बात यह थी कि जिस मुल्क में 1859 ई. से विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा दी जा रही थी, उस मुल्क में लगभग 130 साल बाद एक ऐसी पॉलिसी आई कि जिसके कारण दलित और आदिवासियों के साथ-साथ समाज का पिछड़ा वर्ग

(OBC) भी उच्च शिक्षा व्यवस्था में शामिल हो पाया। इस दौर में लेफ्ट और राइट के अलावा एक और वैचारिक समूह उभर कर सामने आया जिनकी बुनियाद अंबेडकरवाद है। फूले, साहू, पेरियार और कांशीराम इस समूह के वैचारिक शिल्पकार और रेफरेंस प्वाइंट रहे हैं। यह छात्र राजनीति का सुनहरा दौर है क्योंकि सामाजिक न्याय की पॉलिसी का उच्च शिक्षा में अमलआवरी की वजह से छात्र राजनीति की लैंग्वेज में धीरे-धीरे तब्दीली आती गई। अब करप्शन और चुनाव सुधार के अलावा बहुत सारे सवाल जैसे बराबरी, डिग्निटी, आत्मसम्मान आदि मुद्दे भी मुखर होकर सामने आए। अब मुद्दा सिर्फ़ क्लास का नहीं था, छात्र राजनीति में समाजशास्त्रीय उदासीनता (sociological apathy) को लेफ्ट छात्र संगठनों समेत बहुत सारे छात्र संगठन महसूस कर रहे थे, उसको ठीक करने के लिए एवं सही सवाल उठाने के लिए बहुत सारे अंबेडकरवादी संगठन उच्च शिक्षा संस्थानों में नज़र आने लगे।

इसी बीच भारतीय छात्र राजनीति का चौथा दौर शुरू होता है, जब लिंगदोह कमेटी की सिफ़ारिशें सामने आईं। ये सिफ़ारिशें चुनाव में हिस्सा लेने वालों की योग्यता पर खासा ज़ोर देती हैं। इसके साथ ही इसमें चुनाव के लिए कैंडिडेट की क्या उमर होगी? एक कैंडिडेट अधिकतम कितना ख़र्च कर सकता है? चुनाव प्रचार में किस तरह के पोस्टर्स का इस्तेमाल होगा? जैसे सवालों पर भी दिशा-निर्देश दिए गए है। जब दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में धन-बल और बाहुबल के आधार पर चुनाव लड़ते हुए प्रतिनिधियों को देखा गया तो 2005 में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया, जिसमें विशेष तौर पर चुनावी प्रतिनिधियों की उम्र पर लगाम लगाने की बात कही गई ताकि छात्र एक कोर्स को बार-बार दोहरा कर बार-बार चुनाव न लड़ पाएं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानते हुए मानव संसाधन मंत्रालय ने छः सदस्यों पर आधारित एक कमेटी गठित की जिसकी कमान पूर्व चुनाव अधिकारी जेएम लिंगदोह ने संभाली। इस कमेटी की सिफ़ारिशों का

इन तमाम के बावजूद चंद सवालात हमारे सामने रह जाते हैं। क्या कोविड के पश्चात छात्र राजनीति पुनर्जीवित हो पाएगी? लिंगदोह कोविड के पश्चात किस हद तक कैंपस के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुक़सान पहुंचाएगा? ऐसी राजनीति जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो आज़ादी के बाद भी राष्ट्र-राज्य को अथॉरिटेरियन होने से आगाह करती रही, उससे जुड़े लोगों को आंदोलनजीवी कहकर, मज़ाक़ उड़ाना कितना असर छोड़ेगा?

बहुत सारे छात्र संगठनों ने यह कहते हुए विरोध किया कि यह सिफ़ारिशें कैंपस के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए रोड़ा हैं। ऐसा इसलिए कहा गया कि लिंगदोह के अनुसार चुनाव कराने की ज़िम्मेदारी विश्वविद्यालय के प्रशासन की होगी, जिसके चलते यह गुमान लगाया गया कि छात्र संघ के कामों में विश्वविद्यालय प्रशासन हस्तक्षेप कर सकता है और हुआ भी यही कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में जहां चुनावी राजनीति और छात्र संघ बहाल है, वहां प्रशासन हस्तक्षेप करता रहा है। जेएनयू और एचसीयू दो उदाहरण हैं इसके। इन तमाम रुकावट के बावजूद एक सकारात्मक बात यह रही कि लिंगदोह कमेटी ने कैंपस में चुनाव कराने का आदेश दिया। तो इस चौथे दौर में दो तरह के छात्र आंदोलन देखने को मिले, एक उन कैम्पस के छात्र आंदोलन जहां चुनावी राजनीति पर पाबंदी है, वह लिंगदोह के हवाले से इस मांग की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि छात्र राजनीति की बहाली, छात्र संघ चुनाव द्वारा हो। दूसरे वो आंदोलन जो उन कैम्पस में काम करते हैं, जहां चुनावी राजनीति अपने-अपने विश्वविद्यालय के छात्र संघ के संविधान के अनुसार हो रही थी, वहां पर लिंगदोह की आमद उनके लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोटने की तरह साबित हुई।

यूपीए-2 के दौर से ही उच्च शिक्षा का बाज़ारीकरण और इसे दूसरे मुल्कों को गेट्स (GATTs) के नाम पर बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसको एनडीए की सरकार ने 2014 में आगे बढ़ाया। अब देखते ही देखते छात्र राजनीति पांचवें दौर में दाख़िल हो चुकी थी जहां 'शिक्षा बचाओ' के नारे बुलंद हो रहे थे। 'Ocupy UGC, Right to Protest' जैसे नारों के साथ वामपंथी संगठन पेश-पेश नज़र आ रहे थे, तो दूसरी तरफ़ समानता का सवाल केवल शिक्षा में ही नहीं बल्कि छात्र राजनीति में भी हो, ऐसे तीखे और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर अंबेडकरवादी और बहुजन संगठनों ने critical padagogy का नया चैप्टर लिखना शुरू किया। अब सवाल सिर्फ़ प्रशासन से नहीं रहा

बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई का सवाल विश्वविद्यालयों के वामपंथी दलों के सामने भी किया गया जिसे प्रोफ़ेसर हनी बाबू के शब्दों में यूं कहा जाता है..." when dalit bahujan students groups take up the issues related to freedom of expression, the groups dominated by upper castes flock in support. how ever the main half-hearted (if not totally apathetic)about the struggle of the dalit bahujan students to attain equality." आगे ये भी कहा कि "the dominant upper caste led groups yet to take an active role in the struggle to make universities more inclusive."

मंडल-2 (The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006) के कारण बहुत सारे दलित और बहुजन उच्च शिक्षा में क़दम जमा रहे थे और इनका क़दम जमाना ही अपने आप में वर्ण व्यवस्था में प्रतिरोध साबित हो रहा था। जो ऑर्डर, एकेडमिया में लेफ्ट राइट के सवर्णों ने स्थापित किया था, उसमें उन्हें दर्द महसूस होने लगा था। इस दुराग्रह के चलते जेएनयू जैसे प्रगतिशील विश्वविद्यालय के साक्षात्कार में लगातार दलित बहुजन आदिवासियों के नंबर में कटौती दिखाई देने लगी, जबकि उसी समाज के विद्यार्थी लिखित परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करते थे तो छात्रों ने यह दबाव डाला कि इस पर जांच होनी चाहिए। अतः इस संबंध में एक कमेटी गठित की गई जिसे अब्दुल नाफे कमेटी कहा जाता है। इस कमेटी ने बढ़ते भेदभाव को महसूस करते हुए इंटरव्यू का वेटेज कम करने की सलाह रखी। बढ़ते भेदभाव के इस दौर में ख़ास बात यह रही कि मंडल-2 के चलते ओबीसी आरक्षण को हासिल करते हुए बहुत सारे मुस्लिम विद्यार्थियों ने एएमयू और जामिया मिल्लिया के अलावा बाक़ी विश्वविद्यालय जैसे जेएनयू इत्यादि में दाख़िला लिया, जिसके कारण इन कैम्पस में मुस्लिम संगठन बाक़ायदा छात्र राजनीति में शामिल होना शुरू हुए। इन संगठनों ने काफ़ी हद तक चुनावी राजनीति को प्रभावित किया। इसका पहला प्रयोग 'शोषित एकता' (oppressed unity) के नाम से इफ्लू हैदराबाद में हुआ। उसी से ऊर्जा लेते हुए शोषित एकता का नारा एचसीयू और जेएनयू में भी आज़माया गया। इस दौर की नकारात्मक बात यह रही कि कैंपस में चुनावी राजनीति पर प्रतिबंध के कारण छात्र राजनीति सिमट कर कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कुछ पुरानी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ तक सीमित हो गई।

स्वतंत्रता आंदोलन के समय जिस तरह की प्रसिद्धि या मंडल कमंडल के वक़्त छात्र राजनीति की जो चमक थी, वो अब फीकी पड़ गई थी। पब्लिक में भी यह अवधारणा आम हो गई कि छात्र राजनीति शिक्षा-शास्त्र (padagogy) का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह छात्रों का समय और देश के टैक्सपेयर्स का पैसा बर्बाद करने का तरीक़ा मात्र है। इस अवधारणा के चलते एक नए दौर की शुरुआत हुई, जिसमें ऐसे सवाल सोशल मीडिया में भी तेज़ी से बढ़ने शुरू हुए। बात यहां तक पहुंची कि ऐसे विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करना जहां छात्र राजनीति अभी ज़िंदा है, क्राइम समझा गया। यह वह छठा दौर था, जिसमें जहां-जहां छात्र राजनीति बची हुई थी उसको पूरी तरह दबाने की संगठित कोशिश की गई। इसका नतीजा निकला एचसीयू में रोहित वेमुला का संस्थानिक मर्डर, जेएनयू में 9 फ़रवरी वाली घटना का इल्ज़ाम छात्र नेताओं पर मढ़ना, नजीब की गुमशुदगी और एएमयू और जामिया मिल्लिया पर लगातार हमले, इसमें कुछ स्पॉन्सर्ड गुंडों को भी भेजा जाता रहा। इस दौर में छात्र संगठन और छात्र नेता सारे दमन के बावजूद समाज के हर मुद्दे पर बोलते रहे और अपने विरोध को प्रदर्शित करते रहे। इस दौर की आख़िरी कड़ी मेरे अनुसार एंटी सीएए आंदोलन है, जिसमें देश भर से छात्र संगठन और युवा समूहों ने अपनी भागीदारी को यक़ीनी बनाया।

सातवां दौर उस वक़्त शुरू होता है जब कोविड के चलते छात्र राजनीति ने एक नया मोड़ लिया, जिसमें ऑनलाइन प्रोटेस्ट कांफ्रेंस, सोशल मीडिया और ट्विटर स्टॉर्म आदि का बहुत अधिक प्रयोग हुआ। इस दौर में राष्ट्र-राज्य ने पूरे अथॉरिटेरियन रूप में स्वयं को ढाल में छुपाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र-युवाओं को जेलों में धकेल कर बचे-खुचे हौसलों को कुचलने की कोशिश की। हौसले पस्त हो ही रहे थे कि एक नई चेतना किसान आंदोलन से मिली और यह कहा गया कि साथी लड़ाई अभी जारी है।

इन तमाम के बावजूद चंद सवालात हमारे सामने रह जाते हैं। क्या कोविड के पश्चात छात्र राजनीति पुनर्जीवित हो पाएगी? लिंगदोह कोविड के पश्चात किस हद तक कैंपस के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुक़सान पहुंचाएगा? ऐसी राजनीति जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो आज़ादी के बाद भी राष्ट्र-राज्य को अथॉरिटेरियन होने से आगाह करती रही, उससे जुड़े लोगों को आंदोलनजीवी कहकर, मज़ाक़ उड़ाना कितना असर छोड़ेगा? ■■

ندائے یتیم

VOICE OF ORPHAN GIRLS

مسلم لڑکیوں کا یتیم خانہ گیا

کا مختصر تعارف



لڑکیوں کے لئے جدید اور مکمل اسلامی طرز تعلیم سے مزین ثانوی سطح کا معیاری رہائشی (Residential) ادارہ

● 32 سال خدمات ● 10 ہزار طالبات ● تعلیم یافتہ کفالت کنندگان ● 10 ویں (Matric) تک کی تعلیم ● فاصلاتی تعلیم (Distance Education) کے ذریعہ بی اے، ایم اے اور لائبریری سائنس (Study Centre Yateem Khana Islamia Gaya) I.A., B.A., M.A. and BLIS (مسلم یونیورسٹی علی گڑھ) سے منظور شدہ ● خواندگی مراکز ● 10 ویں (Matric) تک کی تعلیم ● 10 سال سے زائد عرصہ کے ساتھ ساتھ خواندگی مراکز کے ذریعہ تعلیم بالغان (Adult Education) کا انتظام ● کمپیوٹر کورسز ● 1993ء سے اب تک 2020ء تک 97 کورسز کامیابی سے مکمل کرائے گئے ● 7 کورسز میں 65 طالبات نے حصہ لیا ● 102 طالبات نے 11 ویں اور 12 ویں (Matric) پاس کیا ● کمپیوٹر (Computer) کی بھی تعلیم ● 158 کمپیوٹر یافتہ یتیم بچیوں نے 10 ویں پاس کیا ● 65 یتیم بچیوں نے میٹرک (Matric) پاس کیا ● 158 کمپیوٹر یافتہ یتیم بچیوں نے 10 ویں پاس کیا ● 65 یتیم بچیوں نے میٹرک (Matric) پاس کیا ● کمپیوٹر (Computer) کی بھی تعلیم

दुनिया मेरे आगे

जुनैद अली
मध्य प्रदेश

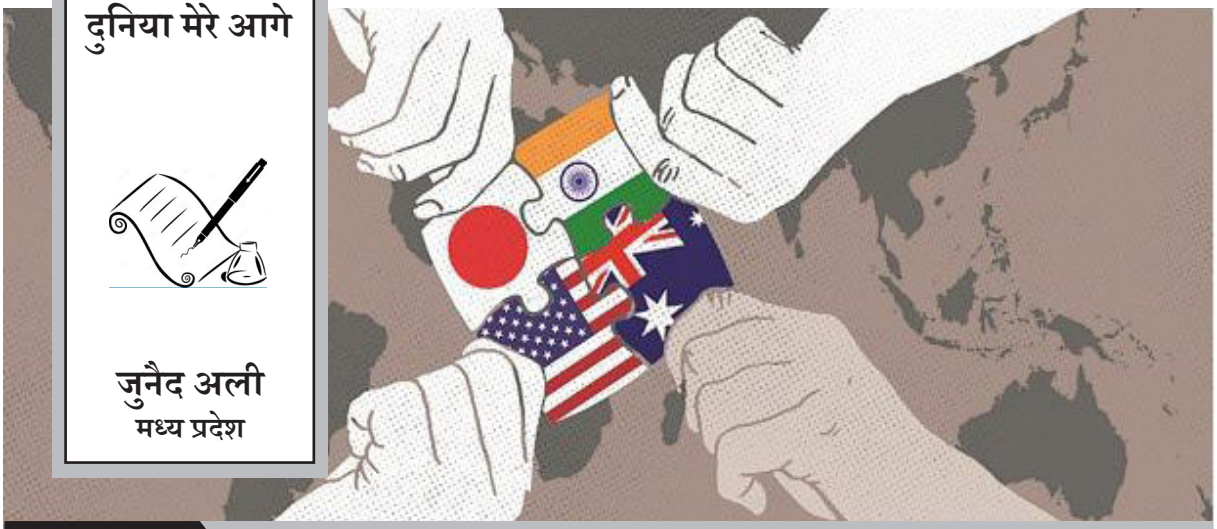

क्वाड : एशियाई राजनीति में अमेरिका की घुसपैठ

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दुनिया बहुध्रुवीय ख़ेमों में बंटी हुई है और वैश्विक राजनीति में विरोधाभास और हितों की लड़ाई में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। एक तरफ़ जहां कई पुराने रणनीतिक गठबंधन अप्रासंगिक हो चुके हैं, वहीं मौजूदा चुनौतियों के अनुकूल नये कूटनीतिक समीकरण विश्व पटल पर उकेरे जा रहे हैं या पुराने संघों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े चार लोकतांत्रिक देशों के बीच रणनीतिक समूह 'क्वाड' कोई नया समूह नहीं है, लेकिन वर्तमान परिवेश में, हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जो वैश्विक राजनैतिक चुनौतियां उभर रही हैं और उस क्षेत्र में अमेरिकी प्रशासन का क्वाड समूह को लेकर मज़बूत बहुआयामी सरोकार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया नैरेटिव गढ़ता हुआ दिखाई देता है। क्वाड को लेकर मोटे तौर पर, आम राय यही है कि क्वाड की स्थापना चीन पर लगाम लगाने के लिए की गई है। अभी हाल में, चार राष्ट्राध्यक्षों का बैठक में शामिल होना, अपने आप में ऐतिहासिक होने के साथ-साथ क्वॉड समूह के प्रति इन देशों की गंभीरता भी ज़ाहिर करता है। हालांकि क्वाड समूह को लेकर चीन ने एतिराज़ जताते हुए कहा कि देशों को एक्सक्लूसिव ब्लॉक नहीं बनाने चाहिए।

वर्ष 2004 में, हिंद महासागर में आई सुनामी के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों के लिए क्वाड समूह की स्थापना की गई। इस समूह में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी है और चारों देशों ने, सुनामी संकट के दौरान, रणनीतिक साझेदारी के तहत, राहत एवं बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह संकटकालीन दौर में एक अस्थाई प्रबंधन था, जिसके सीमित लक्ष्य थें।

वर्ष 2007 में 'क्वाड समूह' योजना को औपचारिक रूप से सामने रखा गया था, लेकिन आरंभिक चरण में आस्ट्रेलिया की उदासीनता, कोई ठोस सर्वमान्य प्रयोजन का अभाव और लक्ष्यविहिनता के कारण, इस गठजोड़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सशक्त पहचान नहीं मिल सकी। वर्ष 2012 में शिंजो आबे द्वारा हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, हिंद-प्रशांत सागर से जुड़े चार महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों को मिलाकर 'डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड' स्थापित करने का विचार पेश किया। वर्ष 2017 में हिंद-प्रशांत क्षेत्र को किसी अतिरिक्त शक्ति के प्रभावों से मुक्त रखने के लिए, रणनीतिक आधार पर 'क्वाड' समूह की स्थापना की गई।

क्वाड समूह को अस्तित्व में लाने में जापान की अहम भूमिका है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषकों की



वर्ष 2004 में, हिंद महासागर में आई सुनामी के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों के लिए क्वाड समूह की स्थापना की गई। इस समूह में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी है और चारों देशों ने, सुनामी संकट के दौरान, रणनीतिक साझेदारी के तहत, राहत एवं बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

राय यह है कि क्वाड समूह की स्थापना को लेकर सरगर्म रहना, यह जापान की अनायास पहल नहीं है, बल्कि अपने घुर विरोधी चीन को घेरने की एक कूटनीतिक चाल है। ऐतिहासिक दृष्टीकोण से चीन और जापान के बीच पिछले 1500 सौ वर्षों में रिश्ते कभी सामान्य नहीं रहे हैं, माओ के दौर में भले ही आपसी तनाव को कम करने को लेकर, चीन और जापान के बीच राजनैतिक सरगर्मियों में इज़ाफ़ा हुआ, लेकिन विवादों पर पूरी तरह विराम नहीं लग सका।

जापान लंबे अंतराल से, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक बड़ा निवेशक और रणनीतिक साझीदार है, लेकिन एशियाई बाज़ारों में तकनीकी आयामों को लेकर चीन और जापान के बीच जारी, गलाकाट प्रतिस्पर्धा गुटीय राजनीति को हवा दे रही हैं। जहां जापान और चीन के संघर्षपूर्ण दौर का लंबा इतिहास है, वहीं भारत-चीन के बीच लंबा सीमा विवाद है, इन्हीं आधारों पर जापान, भारत के संग मैत्रीपूर्ण संबंधों के बजाय एक रणनीतिक घटक बनाने का कहीं अधिक इच्छुक है।

क्वाड समूह के चारों लोकतांत्रिक देशों के मध्य आर्थिक, राजनैतिक एवं सुरक्षा और संयुक्त सैन्य अभ्यासों के माध्यम से, सामंजस्य और सहयोग में वृद्धि दर्ज हो रही है, लेकिन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चारों राष्ट्रों की संयुक्त भूमिका की प्राथमिकताएं बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन विश्लेषकों का यह क़यास है कि भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क़ानूनों के तहत् समुद्र में आने-जाने की आज़ादी के सिद्धांत को स्थिर रखना चाहता है।

बीते दो दशकों में भारत का अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ लगभग सभी स्तरों पर सहयोग बढ़ रहा है और अमेरिका के संग रक्षा सौदे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचते हुए, रूस

को भी पीछे धकेल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपनी शनाख़्त को लेकर ख़ासा सतर्क है और इस प्रकार की गुटबाज़ी से बचना चाहता है। इसका नकारात्मक प्रभाव उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ना संभव है। भारत का चीन के साथ लंबे समय से सीमा विवाद है और कुछ महीनों पहले सीमा पर भारी कशमकश देखने को मिली है, लेकिन भारत एक तरफ 'क्वाड' के साथ खड़ा हैं, वहीं दूसरी ओर ब्रिक्स समूह में अहम भूमिका में हैं। अब इन परिस्थितियों में, चीन को लेकर भारत का कूटनीतिक नज़रिया क्या है और क्वाड समूह के संदर्भ में भारत की रणनीतिक भूमिका क्या होगी? फ़िलहाल यह एक उलझावों से भरी स्थिति है।

इतना कहा जा सकता है कि भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक विखंडन के बजाय शक्तियों के संतुलन और दबावपूर्ण राजनीति के आधार पर अपने परिधियों को सुरक्षित रखने का पक्षधर हैं, लेकिन दो नावों की सवारी करते हुए कितना फ़ासला तय किया जाएगा और सफ़र कितना सुरक्षित साबित होगा, यह भारत की वैश्विक हैसियत के संदर्भ में एक गंभीर सवाल है।

यह स्पष्ट है कि पिछले आठ दशकों से वैश्विक राजनीति का हॉटस्पॉट पश्चिमी एशिया रहा है, लेकिन बीते दो दशकों से चीन को अपने प्रभावों में बढ़ोत्तरी करने का अवसर मिला है। सीमाओं के बाहर चीन की अति महत्वाकांक्षी परियोजना अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देते हुए, वियव राजनीति को प्रभावित कर रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चीन, अमेरिका को सभी मोर्चों पर सशक्त चुनौतियां दे रहा है और ट्रेड वार को लेकर जिस प्रकार से सर फुटव्वल वाली नौबत दिख रही है, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए समीकरणों के उभरने के स्पष्ट संकेत दे रही हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जी-7 की वार्ता के बाद, क्वाड को अपनी पहली बहुपक्षीय बैठक के रूप में चयन करना यही साबित करता है कि चीन की चुनौतियों के मद्देनज़र अब अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की चाल पर लगाम लगाने के लिए उपयुक्त विकल्प तलाश कर रहा है। हिंद-प्रशांत में महाशक्तियों का जमावड़ा, इस क्षेत्र को सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाने के साथ, यह क्षेत्र वैश्विक राजनीति के नए क्षितिज के रूप में उभर रहा है।

अफ़ग़ानिस्तान और इराक़ में मिली नाकामियों के बाद, अमेरिकी विदेश नीतियों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह आया है कि उसने स्वयं के बलबूते विदेशी ज़मीन पर कोई सीधा अभियान छेड़ने से परहेज़ किया है। सीरिया को लेकर अमेरिकी विदेश नीतियों में भारी हिचकिचाहट देखने को मिली। वहीं यमन में बीच यात्रा से ही यू टर्न का ऐलान करना पड़ा। वास्तविकता यह भी है कि दो दशकों की थका देने वाले प्रयासों के बावजूद अमेरिकी रणनीतिकारों और उन्नत साजो-सामान से लैस उसके सैन्य बलों की ज़मीनी कोशिशें, स्पष्ट रूप से किसी सम्मानजनक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकीं।

अब इसलिए अमेरिका सीधे भिड़ने के स्थान पर समूह की राजनीति के ज़रिए दबाव बनाने की नीतियों का सृजन करने के साथ कूटनीतिक चैनलों के ज़रिए अपने वर्चस्व को क़ायम रखने की कोशिशों पर अधिक ज़ोर देना चाहता है, जिसका आरंभिक स्वरूप क्वाड समूह की सक्रियता के साथ उभर रहा है। ■■

अफ़ग़ानिस्तान और इराक़ में मिली नाकामियों के बाद, अमेरिकी विदेश नीतियों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह आया है कि उसने स्वयं के बलबूते विदेशी ज़मीन पर कोई सीधा अभियान छेडने से परहेज़ किया है। सीरिया को लेकर अमेरिकी विदेश नीतियों में भारी हिचकिचाहट देखने को मिली। वहीं यमन में बीच यात्रा से ही यू टर्न का ऐलान करना पडा। वास्तविकता यह भी है कि दो दशकों की थका देने वाले प्रयासों के बावजूद अमेरिकी रणनीतिकारों और उन्नत साजो-सामान से लैस उसके सैन्य बलों की ज़मीनी कोशिशें, स्पष्ट रूप से किसी सम्मानजनक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकीं।

अध्ययन चर्चा

संपादन प्रभाग

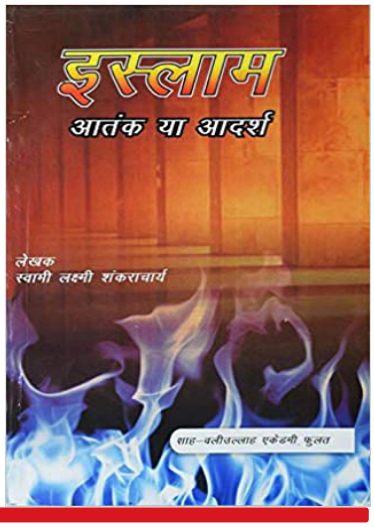

धारणाओं की जंग

आज जबकि नरसिंहानंद और कुलश्रेष्ठ जैसे इस्लामोफ़ोब की हरकतों पर लोग अतिप्रतिक्रिया के शिकार हो रहे हैं, उन्हें ये जानना चाहिए कि इस्लाम को अच्छे अंदाज़ में पेश करने वाले हिंदू धर्माचार्य भी हैं। इस संबंध में मौखिक तौर पर अपने भाषणों में प्रयाग पीठ के शंकराचार्य स्वामी माधवानंद जी थे, तो अपने लेखन से इस्लाम का सही परिचय कराने वाले स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी हैं।

एक सौ दस पेज की इस पुस्तक "इस्लाम आतंक या आदर्श?" में स्वामी लक्ष्मीशंकराचार्य जी ने ख़ासतौर पर क़ुरआन की उन चौबीस आयतों का ज़िक्र किया है, जिनके ग़लत मायने निकालकर इन्हें आतंकवाद से जोड़ा जाता है। उन्होंने इन चौबीस आयतों का अच्छा ख़ुलासा करके यह साबित किया है कि किस साज़िश के तहत इन आयतों को हिंसा के रूप में दुष्प्रचारित किया जा रहा है।

स्वामी लक्ष्मीशंकराचार्य के साथ दिलचस्प वाक़िया जुड़ा हुआ है, जिसे वो अपनी इस पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं–"मेरे मन में यह ग़लत धारणा बन गई थी कि इतिहास में हिन्दू राजाओं और मुस्लिम बादशाहों के बीच जंग में हुई मारकाट तथा आज के दंगों और आतंकवाद का कारण इस्लाम है। मेरा दिमाग़ भ्रमित हो चुका था। इस भ्रमित

"इस्लाम को नजदीक से न जानने वाले भ्रमित लोगों को लगता है कि मुस्लिम मौलाना, ग़ैर-मुस्लिमों से घृणा करने वाले अत्यन्त कठोर लोग होते हैं। लेकिन बाद में जैसा कि मैंने देखा, जाना और उनके बारे में सुना, उससे मुझे इस सच्चाई का पता चला कि मौलाना कहे जाने वाले मुसलमान व्यवहार में सदाचारी होते हैं, अन्य धर्मों के धर्माचार्यों के लिए अपने मन में सम्मान रखते हैं। साथ ही वह मानवता के प्रति दयालु और संवेदनशील होते हैं। उनमें सन्तों के सभी गुण मैंने देखे। इस्लाम के यह पण्डित आदर के योग्य हैं, जो इस्लाम के सिद्धान्तों और नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, गुणों का सम्मान करते हैं। वे अति सभ्य और मृदुभाषी होते हैं। ऐसे मुस्लिम धर्माचार्यों के लिए भ्रमवश मैंने भी ग़लत धारणा बना रखी थी।"

दिमाग़ से हर आतंकवादी घटना मुझे इस्लाम से जुड़ती दिखाई देने लगी।

इस्लाम, इतिहास और आज की घटनाओं को जोड़ते हुए मैंने एक पुस्तक लिख डाली–

'इस्लामिक आंतकवाद का इतिहास' जिसका अंग्रेज़ी में भी अनुवाद हुआ। पुस्तक में स्वामी लक्ष्मीशंकराचार्य आगे लिखते हैं–

"सत्य सामने आने के बाद मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ कि मैं अनजाने में भ्रमित था और इस कारण ही मैंने अपनी उक्त किताब–'इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास' में आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ा है, जिसका मुझे खेद है।

जब दोबारा से मैंने सबसे पहले मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की जीवनी पढ़ी। जीवनी पढ़ने के बाद इसी नज़रिए से जब मन की शुद्धता के साथ क़ुरआन मजीद शुरू से अंत तक पढ़ा, तो मुझे क़ुरआन मजीद की आयतों का सही मतलब और मक़सद समझ में आने लगी।

लक्ष्मी शंकराचार्य अपनी पुस्तक की भूमिका के अंत में लिखते हैं–

मैं अल्लाह से, पैग़म्बर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से और सभी मुस्लिम भाइयों से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगता हूं तथा अज्ञानता में लिखे व बोले शब्दों को वापस लेता हूं। सभी जनता से मेरी अपील है कि 'इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास' पुस्तक में जो लिखा है उसे शून्य समझें।

अपनी पुस्तक में स्वामी जी ने इस्लामी धर्माचार्यों अर्थात् मौलानाओं को लेकर बहुसंख्यक समाज में जो कंडीशनिंग है, उस पर भी विचार व्यक्त किए हैं–

"इस्लाम को नजदीक से न जानने वाले भ्रमित लोगों को लगता है कि मुस्लिम मौलाना, ग़ैर-मुस्लिमों से घृणा करने वाले अत्यन्त कठोर लोग होते हैं। लेकिन बाद में जैसा कि मैंने देखा, जाना और उनके बारे में सुना, उससे मुझे इस सच्चाई का पता चला कि मौलाना कहे जाने वाले मुसलमान व्यवहार में सदाचारी होते हैं, अन्य धर्मों के धर्माचार्यों के लिए अपने मन में सम्मान रखते हैं। साथ ही वह मानवता के प्रति दयालु और संवेदनशील होते हैं। उनमें सन्तों के सभी गुण मैंने देखे। इस्लाम के यह पण्डित आदर के योग्य हैं, जो इस्लाम के सिद्धान्तों और नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, गुणों का सम्मान करते हैं। वे अति सभ्य और मृदुभाषी होते हैं। ऐसे मुस्लिम धर्माचार्यों के लिए भ्रमवश मैंने भी ग़लत धारणा बना रखी थी।"

इस तरह उन्होंने किताब में न केवल इस्लाम से जुड़ी ग़लतफ़हमियां दूर करने की बेहतर कोशिश की है, बल्कि इस्लाम को अच्छे अंदाज़ में पेश किया है। ■■

मुद्दा



मुहम्मद यूसुफ़ 'मुन्ना'
दिल्ली

लॉकडाउन : एक साल बाद फिर उसी दोराहे पर

ऐसा लगता है कि समय फिर वापस आकर उसी जगह ठहर गया है। कोरोना की नई लहर उसी त्रासदी को दोहरा रही है, जो एक साल पहले पूरे देश ने सहा। इस बार विभीषिका पहले से ज़्यादा और सरकार की चौकसी पहले से कम है। वह भी तब जबकि लाखों लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। अस्पतालों में मरीज़ों की भीड़ पहले से ज़्यादा होने के साथ स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं।

हालात देखकर साफ़ है कि एक साल में सरकार ने न कुछ सीखा न तैयारी की। दिल्ली, मुंबई समेत देश के अनेक महानगरों से मज़दूरों के पलायन की भीड़ रेलवे और बस स्टेशनों पर देखी जा रही है। मज़दूर पिछले अनुभव से भयभीत हैं, इसलिए वे ट्रेन या बस सेवाएं बंद होने से पहले अपने घरों तक पहुंचना चाह रहे हैं। उनमें पिछली बार के कठिन पलायन का डर साफ़ दिख रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बार अपने संबोधन में लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला राज्यों पर छोड़ते हुए संकेत दिए कि अगर स्थिति और ज़्यादा गंभीर होगी तो पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। हालांकि देश के कई राज्यों ने अल्पकालिक लॉकडाउन लगाया। कुल मिलाकर आम नागरिकों के लिए हालात एक साल बाद भी जस के तस हैं। वही भय, वही आशंकाएं। कोरोना का क़हर और सरकार की अदूरदर्शिता ने देश और लोगों की आर्थिक कमर तोड़ कर रख दी है।

बिना पूर्व तैयारी के लगाए गए लॉकडाउन के कारण पैदा हुई बेरोज़गारी की समस्या में एक साल बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। जिन लोगों का जीवन कुछ हद तक पटरी पर लौट रहा था, वे फिर उसी दोराहे पर खड़े कर दिए गए। ग़ौरतलब है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पिछले साल 25 मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अचानक लॉकडाउन लगाने का एलान कर दिया था। उस वक़्त किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस लॉकडाउन से कोरोना के संक्रमण को रोकने में कितनी सहायता मिलेगी और उनके जीवन पर इसका क्या असर होगा?

यह अलग बात है कि इस एक साल में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से ताली-थाली बजवा लिया, कोरोना से जंग जीत लेने का सेहरा अपने सिर पर बांध लिया और टीका उत्सव भी मनवा लिया। अब जबकि दूसरी लहर लोगों के

हालात देखकर साफ़ है कि एक साल में सरकार ने न कुछ सीखा न तैयारी की। दिल्ली, मुंबई समेत देश के अनेक महानगरों से मज़दूरों के पलायन की भीड रेलवे और बस स्टेशनों पर देखी जा रही है। मज़दूर पिछले अनुभव से भयभीत हैं, इसलिए वे ट्रेन या बस सेवाएं बंद होने से पहले अपने घरों तक पहुंचना चाह रहे हैं।



सिर पर आ खड़ी हुई तो पता चला कि अस्पतालों में दवाओं, बेड, ऑक्सीजन और मेडिकल स्टाफ़ की भारी कमी है तथा मरीज़ों का कोई पुरसानेहाल नहीं है।

लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर लोगों की जीविका पर पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों को अपने रोज़गारों से हाथ धोना पड़ा था। प्रवासी मज़दूरों के पलायन के दर्द ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मध्यम वर्ग और ग़रीब वर्ग लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के अनुसार फ़रवरी 2021 में बेरोज़गारी की दर 6.9 फ़ीसद थी जो पिछले साल इसी महीने में 7.8 फ़ीसद और मार्च 2020 में 8.8 फ़ीसद थी। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गारी की दर अधिक रही।

हालांकि जुलाई 2020 के बाद से बेरोज़गारी की दशा में सुधार के संकेत मिले, लेकिन वे समस्या के सामने बौने साबित हुए। कई विशेषज्ञों का कहना था कि देश में बेरोज़गारी कोरोना वायरस से भी बड़ी महामारी बन चुकी है और जल्द ही उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। आर्थिक तंगी के कारण ख़ुदकुशी करने के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए।

एक अमेरिकी संस्था प्यू रिसर्च सेंटर ने बेराज़गारी के मामले में भयावह स्थिति का ख़ुलासा करती रिपोर्ट प्रकाशित की। संस्था की विश्वव्यापी रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना और उसके बाद लगे लॉकडाउन के कारण पूरी दुनिया में जितने लोग ग़रीब हुए, उनमें से आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ़ भारत में ग़रीब हुए। यह रिपोर्ट प्रतिदिन 2 डॉलर से कम पर गुज़ारा करने वाले को ग़रीब मानती है। इस विश्लेषण के अनुसार पिछले साल पूरी दुनिया में लगभग 13 करोड़ मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोग गिरकर ग़रीबी रेखा के नीचे पहुंच गए। इसमें ग़रीब होने वाले क़रीब 7.50 करोड़ लोग सिर्फ़ भारत से थे। इस आंकड़े पर समाज सेवी योगेन्द्र यादव का कहना था कि कोई और देश होता तो इस ख़बर पर मीडिया में बहस होती, सवाल पूछे जाते, लेकिन यहां यह ख़बर सन्नाटे में डूब गई।

विश्व बैंक का अनुमान है पिछले साल हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ने की बजाय कम हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर पूरे देश की आय कम हुई है, तो हर परिवार, हर व्यक्ति की आय भी कम हुई होगी, लेकिन अमीरों को इस संकट में भी मुनाफ़ा हुआ। जब देश में ग़रीबी बढ़ रही थी तब अंबानी और गौतम अडाणी की आय और संपत्ति दुनिया में सबसे तेज़ गति से बढ़ रही थी।

दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का ख़्वाब देखने वाले देश में लॉकडाउन से पहले लगभग 12.5 करोड़ परिवार की मासिक आय लगभग एक लाख रुपये से अधिक थी। लॉकडाउन के बाद यह संख्या घटकर 8.5 करोड़ रह गई। यानी 2020 ने पिछले 20 साल की आर्थिक वृद्धि के फ़ायदे को एक ही झटके में ख़त्म कर दिया और देश को वापस वहां खड़ा कर दिया जहां वह इस शताब्दी के शुरुआत में था। यहां यह भी ग़ौरतलब है कि राष्ट्रीय सैंपल सर्वे की मासिक आय व्यय सर्वेक्षण की रिपोर्ट कई सालों से सार्वजनिक नहीं हुई। इसकी रिपोर्ट को सरकार ने कूड़ेदान में डलवा दिया।

ऐसे समय जब लोग पिछली त्रासदी से बाहर निकलने के लिए हाथ-पैर मार रहे थे, कोरोना एक बार फिर लोगों के सिर पर खड़ा है। सरकार फिर इस संकट का गंभीरता और दूरदर्शिता से सामना करने की जगह सिर्फ़ भाषण से काम चला रही है। स्थिति यह है कि अभी लोगों की आर्थिक कमर ठीक से सीधी भी नहीं हुई थी कि उस पर दोहरी मार पड़ गई।

■■

लघुकथा



आरके रस्तोगी
प्रवक्ता डॉट कॉम

एकाकीपन

हमारी समस्या एकाकीपन की है, हम अपने जीवन में बोर हो चुके हैं। हमें एकांतवास रोज़ खाए जा रहा है। हमारे बच्चे होते हुए भी हम अकेले हैं। हम से कोई भी बात नहीं करना चाहता। आपसे अनुरोध है कि आप बारी-बारी से हमारे घर आएं और हमारे घर पर नाश्ता व भोजन करें ताकि हमारा यह एकाकीपन दूर हो सके।

गुरुग्राम शहर के डीएलएफ फेस वन में एक दम्पत्ति रहते हैं, जिनकी उम्र लगभग 65 तथा 70 के बीच है, उनके दो पुत्र तथा एक पुत्री हैं पर वे उनके पास नहीं रहते। आजकल दोनों पुत्र अमेरिका के कैलफोर्निया स्टेट में सेटल हो गए हैं। अक्सर महीने में एक या दो बार मोबाइल पर उनसे बातचीत हो जाती है। उनकी बेटी भी अपने पति के साथ आस्ट्रेलिया में सेटल हो गई है, वह भी अपने माता-पिता से सप्ताह में एक-दो बार बातचीत कर लेती है और उनका कुशल मंगल पूछ लेती है। खाने-पीने की कोई परेशानी नहीं है। दोनों बुज़ुर्ग दम्पत्ति को अच्छी ख़ासी पेन्शन मिलती है। परेशानी केवल एक ही थी और वह थी अकेलेपन की। वे अपने अकेलेपन से ऊब चुके थे। ज़्यादा बाहर निकलना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि उनके अंग शिथिल पड़ते जा रहे थे। और आजकल तो वे कोरोना के डर से यूं बाहर भी नहीं निकल रहे थे। अभी पिछले माह के पहले सप्ताह के हिंदुस्तान टाइम्स के सन्डे एडिशन में उन्होंने अपने इस मकान को बेचने का ऐड दिया। मकान में तीन बैड रूम, दो बाथ रूम, एक ड्राइंग रूम और एक रसोई है। इस ऐड को देखकर एक दलाल उनके घर पहुंचा।

उसने बाहर से काल बेल बजाई। काल बेल की आवाज़ सुनकर दोनों बुज़ुर्ग दम्पत्ति बाहर निकले। दलाल ने पुछा, "क्या आप अपना मकान बेचना चाहते हैं?" बुज़ुर्ग ने तुरन्त उत्तर दिया, "हां"। पर दलाल बाहर ही खड़ा रहा बुज़ुर्ग ने कहा, "आप अंदर तो आइए, बाहर क्यों खड़े हो।" दलाल कुछ सुकुचाते हुए अंदर चला गया और उनके साथ ड्राइंग रूम में बैठ गया।

दलाल ने कुछ समय बैठने के बाद उनसे पुछा, "आप इस मकान की क्या क़ीमत मांग रहे हो?" बुज़ुर्ग ने तुरन्त उत्तर दिया, "दो करोड़ रुपये।"



दलाल ने कहा, "बाबूजी! इस मकान के दो करोड़ रुपए तो बहुत ही अधिक हैं। आजकल तो प्रॉपर्टी का काफ़ी मंदा चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस मकान के एक करोड़ रुपए मिल सकते हैं। साथ ही आजकल तो कोरोना भी चल रहा है। कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। सबके मन में डर बैठा हुआ है। इसी बीच बुज़ुर्ग की पत्नी तीन कप चाय व ढेर सारा नाश्ता ले आई। दलाल उठकर जाने लगा। पर बुज़ुर्ग ने उसे हाथ पकड़ कर बैठा लिया और बोला, "भाई, नाश्ता तो आपको करना ही पड़ेगा। चाहे आप मेरी प्रॉपर्टी बिकवाएं या न बिकवाएं।

नाश्ते के दौरान तीनों अपने घर की बाते व दुःख-सुख की बातें करने लगे, समय का पता भी नहीं लगा कि कब एक घंटा बीत चुका। बातचीत करते हुए दोनों बुज़ुर्ग बड़े ही ख़ुश नज़र आ रहे थे और उनके चेहरे पर एक ख़ुशी की चमक थी। दलाल भी नाश्ता करके नमस्ते करके उनके घर से निकल गया। बुज़ुर्ग ने फिर अख़बार में मकान बेचने का ऐड दिया। ऐड देखकर वही दलाल उनके घर फिर पहुंचा। दलाल ने फिर प्रश्न किया। "आप इस मकान को कम से कम कितने में बेचना चाहते हो?" बुज़ुर्ग ने फिर वही उत्तर दिया, "दो करोड़ रुपए।" दलाल उठने लगा और सोचा की इन्हें मकान नहीं बेचना है, केवल भाव लगवाना चाहते हैं, पर बुज़ुर्ग ने फिर ज़बरदस्ती उस दलाल को बैठा लिया और कहा, "बैठो भाई नाश्ता तो करना ही पड़ेगा।" मकान बेचें या न बेचें।

अबकी बार वे तीनों लोग दो घंटे तक अपने जीवन संस्मरण साझा करते रहे। दोनों बुज़ुर्ग अबकी बार पहले से अधिक ख़ुश थे। बुज़ुर्ग ने फिर तीसरी बार मकान बेचने का ऐड दिया। अबकी बार कई और दलाल उस मकान को देखने गए, पर उस बुज़ुर्ग ने उस मकान की क़ीमत दो करोड़ ही बताई। अब सारे दलाल मिलकर उस बुज़ुर्ग के घर पहुंचे और बोले, "बाबूजी! आप अख़बार में हर बार मकान बेचने का ऐड देते हो पर मकान बेचना नहीं चाहते हो और प्रत्येक बार दो करोड़ ही मांगते हो। ज़रा भी क़ीमत कम करना नहीं चाहते हो। साथ ही हमें अच्छा ढेर सारा नाश्ता करवाते हो, इसका क्या कारण है। ज़रा हमें तो बताओ?" यह सुनकर बुज़ुर्ग दम्पत्ति फूट-फूटकर रोने लगे और हरेक दलाल को गले से लगा-लगाकर रोने लगे फिर बोले, "हमारी समस्या मकान बेचने की नहीं है। हमारी समस्या एकाकीपन की है, हम अपने जीवन में बोर हो चुके हैं। हमें एकांतवास रोज़ खाए जा रहा है। हमारे बच्चे होते हुए भी हम अकेले हैं। हम से कोई भी बात नहीं करना चाहता। आपसे अनुरोध है कि आप बारी-बारी से हमारे घर आएं और हमारे घर पर नाश्ता व भोजन करें ताकि हमारा यह एकाकीपन दूर हो सके।

मरने से पूर्व हम इस मकान को एक वृद्धा आश्रम में परिवर्तित करना चाहते हैं और इसका एक ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, जिसके ट्रस्टी आप सभी लोग होंगे, पर एक शर्त यह है कि हम जब तक ज़िन्दा हैं आप लोग हमारे पास आएं, और हमारे मरने के पश्चात भी आप हमारा अंतिम संस्कार करें।" इस बात को सुनकर सभी दलाल लोग सुबक- सुबक कर रोने लगे।

■■

आख़िरी पन्ना



तूबा हयात ख़ान
छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश

माहौल अब भी बदल सकता है

भावनाओं को ठेस पहुंचने पर लोगों का आक्रोशित हो जाना स्वाभाविक है। ऐसा ही आक्रोश सोशल मीडिया पर भी दिखा। एक तथाकथित धर्मगुरु यति नरसिंहानंद द्वारा पैग़ंबर हज़रत मुहम्मद (आप पर सलामती हो) का अनादर व तौहीन की गई। सोशल मीडिया पर यह सारी बातें लिखी और उछाली गईं। जिससे हम सभी स्वाभाविक रूप से आक्रोश में हैं, जिस प्रकार उन बातों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे स्पष्ट है कि कुछ लोग आक्रोश के हिंसक हो जाने की मंशा रखते हैं ताकि उन्हें इस्लाम और मुसलमानों की छवि कलंकित करने का एक और मौक़ा मिल जाए।

लेकिन कुछ देर के लिए नरसिंहानंद को छोड़िए, मान लीजिए कि कल को आपके मित्रों में से कोई इस तरह की बातें करने लगे, तो क्या आपको हैरानी होगी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कारण?

क्या आपने उन्हें इस्लाम (जिसके अनुयायी होने पर आपको गर्व है) के सिद्धांतों, जीवन व्यवस्था और इसके अंतिम पैग़ंबर (आप पर सलामती हो) की शिक्षाओं के बारे में बताया? मौखिक रूप से बताने के साथ-साथ अपने अमल से बताया? क्या पहले ख़ुद भी इनका अध्ययन किया? या कोशिश कर रहे हैं?

वैसे तो इन भ्रांतियों और नफ़रतों के पीछे एक लंबे समय से पनप रही नफ़रत भरी सांप्रदायिक विचारधारा होने में कोई दो राय नहीं है, किंतु इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वर्तमान में हमारे विमर्श, व्यवहार और कार्य से इस पर कोई असर नहीं हो सकता।

ज़रा सोचिए कि हर मुसलमान अगर इस्लाम को अपने चरित्र में ले आए तो क्या यह भ्रांतियां उनके चरित्र को देखकर ही ख़त्म न हो जाए?

हम लोग ग़लतफ़हमियां और नफ़रतें फैलाने वालों के लिए मौक़ों में इज़ाफ़ा कर देते हैं, कभी सही बातें न बता कर और अक्सर कथनी करनी में साफ़ फ़र्क़ दिखा कर....।

स्वस्थ संवाद और इस्लाम की शिक्षाओं पर सही से अमल हो तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन की लहर उठते देर नहीं लगेगी, इस श्रृंखला में लक्ष्मी शंकराचार्य की दो पुस्तकें इस बात का स्पष्ट उदाहरण हैं।

पहले अनेक दुष्प्रचार और भ्रांतियों में आकर उन्होंने "इस्लामी आतंकवाद का इतिहास" नामक पुस्तक लिख दी थी किंतु जब उनका मुस्लिम विद्वानों से संपर्क हुआ, हक़ीक़त में कुछ इस्लामी चरित्र देखे तो पिछली सारी भ्रांतियों का खंडन करते हुए अपनी अगली किताब "इस्लाम : आतंक या आदर्श" में इस्लाम को आदर्श बताते हुए उन्होंने लिखा कि "सत्य सामने आने के बाद मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ कि मैं अनजाने में भ्रमित था और इसी कारण ही मैंने अपनी उक्त किताब 'इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास में आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ा है जिसका मुझे हार्दिक खेद है।"

ज़रा सोचिए कि हर मुसलमान अगर इस्लाम को अपने चरित्र में ले आए तो क्या यह भ्रांतियां उनके चरित्र को देखकर ही ख़त्म न हो जाए?

ऐसे बहुत से सकारात्मक उदाहरण मौजूद हैं किंतु वे काफ़ी नहीं हैं, हममें से हर एक को मिसाल बनना होगा, माहौल अब भी बदल सकता है।

■■